अध्याय–11

राज्य सभा की बैठकें

बैठकों का नियत किया जाना

राज्य सभा की बैठकें उन दिनों होती हैं जिनका निदेश सभापति कार्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर दे।[1] सामान्यत: राज्य सभा की बैठकें एक वर्ष में औसतन लगभग 80–90 दिनों के लिए होती हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय से सत्र के आरंभ और अवधि की तारीखों का सुझाव देने वाली संसूचना के प्राप्त होने पर सभापति के आदेशानुसार उन दिनों को नियत किया जाता है जब सरकारी और गैर-सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए राज्य सभा की बैठकें होनी होती हैं।

6 मार्च, 1987 को (बजट सत्र के पहले भाग में) कुछ सदस्यों ने राज्य सभा की बैठकों की अवधि को उत्तरोत्तर कम किए जाने के संबंध में एक मामला उठाया। यह मामला 141वें सत्र के संदर्भ में उठा जिसके दौरान केवल 18 बैठकें नियत की गई थीं। सभापति ने यह कहकर मामले को समाप्त किया: ''जहां तक मेरा संबंध है, मैंने निर्णय किया है कि सत्रावकाश के बाद बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए राज्य सभा निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले समवेत होगी।''[2] अत: सभा अपने 142वें सत्र के लिए 13 अप्रैल, 1987 को समवेत हुई।

बैठकों की अस्थायी सारणी

किसी सत्र के लिए आह्वान करने के साथ-साथ बैठकों के लिए इस प्रकार निर्धारित कार्यक्रम को दर्शाने वाली बैठकों की अस्थायी सारणी भी सदस्यों को जारी की जाती है। (किन्तु जब राज्य सभा को 1977 में दो दिवस के छोटे से विशेष सत्र (99वें सत्र) के लिए और 1991 में (158वें सत्र) के लिए बुलाया गया था तब बैठकों की अस्थायी सारणी जारी नहीं की गई थी।) बैठकों की अस्थायी सारणी में निम्नलिखित बातें दर्शाई जाती हैं। (1) वे दिन जब सभा की बैठक होनी है; (2) वे दिन जब छुट्टियों के कारण या अन्यथा कोई बैठक नहीं होनी है; (3) प्रत्येक दिन की बैठक में किए जाने वाले कार्य का स्वरूप–चाहे वह सरकारी कार्य हो, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य (विधेयक या संकल्प) हो; और (4) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनों का आवंटन जिन्हें सप्ताह के विनिर्दिष्ट दिनों में लिए जाने के लिए पांच समूहों में क्रमबद्ध किया जाता है।

1952 से 1954 तक की अवधि के दौरान बैठकों की अस्थायी सारणी में कार्य की विनिर्दिष्ट मदों को दर्शाया जाता था जैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, बजट पर सामान्य चर्चा, गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प या विधेयक। सरकारी कार्य को शासकीय कार्य के रूप में दर्शाया जाता था।

सत्र के आरंभ से संबंधित विभिन्न विषयों पर अन्य सूचना के साथ-साथ इस सूचना को एक संसदीय समाचार के द्वारा भी सदस्यों को अधिसूचित किया जाता है। जब भी आवश्यक हो, बैठकों की अस्थायी सारणी में दर्शाए गए बैठकों के कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है और सभापति द्वारा सभा में उसकी घोषणा की जाती है और संसदीय समाचार में उसे अधिसूचित किया जाता है।

43वें सत्र के लिए बैठकों की अस्थायी सारणी को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजे जाने के बाद यह सुझाव दिया गया था कि वित्त विधेयक पर चर्चा करने के लिए सदस्यों को पर्याप्त समय देने के लिए जिसे लोक सभा द्वारा 23 अप्रैल, 1963 को पारित कर दिए जाने की संभावना है, शुक्रवार 26 अप्रैल, 1963 को सरकारी कार्य के लिए आवंटित कर दिया जाए और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए राज्य सभा की बैठक शनिवार, 27 अप्रैल, 1963 को हो सकती है। सभापति के विदेश में होने के कारण सुझाए गए परिवर्तन के लिए उनके आदेश प्राप्त नहीं किए जा सके और बैठकों की अस्थायी सारणी, जिस रूप में वह मूलत: तैयार की गई थी, सदस्यों में परिचालित कर दी गई। विदेश से वापस आने के बाद जब सभापति मंत्रालय के प्रस्ताव से सहमत हो गए तब ''तेतालीसवें सत्र के लिए बैठकों की अस्थायी सारणी गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए दिनों का नियतन'' शीर्षक के अंतर्गत एक संसदीय समाचार के जरिये सदस्यों को इस परिवर्तन के बारे में अधिसूचित किया गया।[3]

79वें सत्र के लिए बैठकों की अस्थायी सारणी के जारी होने के बाद किंतु उसके आरंभ के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री ने सभापति से अनुरोध किया कि वे 18 और 25 मार्च, 1972 को, जो शनिवार थे, अतिरिक्त बैठकों की व्यवस्था करें। इस पर सहमति हुई और सदस्यों को एक संसदीय समाचार द्वारा इसकी सूचना दी गई।[4]

शनिवार को बैठक

सामान्यत: सभा सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बैठती है। किंतु कार्य की अत्यावश्यकता के कारण कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर या सभा में आम राय से या सभापति या सरकार के सुझाव पर सभा कई बार शनिवार को बैठी है। कभी-कभी शनिवार के लिए नियत बैठकें भी रद्द कर दी गई हैं। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में 5 दिन का सप्ताह कर देने के सरकार के निर्णय के बाद सभा कुछ अवसरों पर शनिवार को भी बैठी है।

उदाहरण के लिए सभा की बैठकें निम्नलिखित शनिवारों को हुई: 20 जुलाई, 1991 (सोमवार के स्थान पर क्योंकि उस दिन मुहर्रम था), 14 सितम्बर, 1991, 21 दिसम्बर, 1991, 8 अगस्त, 1992 (भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष बैठक), 26 अगस्त, 1995 (174वें सत्र की अवधि को बढ़ाने के कारण)।

छुट्टियों का मनाया जाना

राज्य सभा में भारत सरकार द्वारा घोषित सभी नियमित और तदर्थ सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं।

किंतु 13 मई, 1957 को जब बुद्ध पूर्णिमा के कारण छुट्टी थी, राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण दिया और उस दिन सभा की एक पृथक बैठक हुई।

किंतु बैठकों को नियत करते समय भारत सरकार के कार्यालयों की प्रतिबंधित छुट्टियों को ध्यान में नहीं रखा जाता और ऐसे दिन बैठकें नियत की जा सकती हैं।

इसके अलावा सभा में कुछ ऐसे पर्वों पर भी छुट्टी होती है जब भारत सरकार के कार्यालयों में सार्वजनिक छुट्टी नहीं होती। सामान्यत: ऐसे दिन के लिए कोई बैठक नियत नहीं की जाती और यदि ऐसी कोई बैठक नियत की भी जा चुकी हो तो उसे रद्द किया जा सकता है। ऐसी छुट्टियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) रक्षा बंधन

5 अगस्त, 1952 को जब सभा की बैठक मध्याह्न पूर्व 8.15 बजे हुई तब यह सुझाव दिया गया कि रक्षा बंधन के कारण सभा को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। सभापीठ इस पर सहमत थी कि सभा म० पू० 9.30 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हो जानी चाहिए और म० पू० 10.00 बजे सभा पुन: आरंभ होनी चाहिए ताकि ''हम राष्ट्रीय उत्सव के बारे में सामान्य रवैये के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सकें''। तदनुसार सभा स्थगित हुई और पुन: समवेत हुई।[5]

24 अगस्त, 1953 को, जो चौथे सत्र का पहला दिन था, प्रश्न-काल के बाद सभा आम राय से रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में स्थगित कर दी गई।[6]

21 अगस्त, 1956 के लिए नियत की गई बैठक रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में रद्द कर दी गई।[7] किंतु 29 अगस्त, 1958 और 18 अगस्त, 1959 को रक्षा बंधन का पर्व होने पर भी राज्य सभा की बैठक हुई।

बाद के वर्षों में रक्षा बंधन के दिन घोषित सार्वजनिक छुट्टी थी या उस दिन सभा की बैठक नहीं हुई।

(ii) मई दिवस (पहली मई)

सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति ने सिफारिश की कि राज्य सभा को चाहिए कि वह मई दिवस को एक छुट्टी के रूप में मनाए और प्रतिवर्ष पहली मई को सभा की कोई बैठक नहीं होनी चाहिए। इस सिफारिश को 1973 (84वें सत्र) से लागू किया गया।[8]

(iii) गुरु रविदास का जन्मदिन

18 फरवरी, 1981 को जब सभा की बैठक हुई तब उस दिन गुरु रविदास के जन्मदिन के उपलक्ष्य में छुट्टी करने के बारे में एक मुद्दा उठाया गया। कुछ चर्चा के बाद सभा को म॰ पू॰ 11.06 बजे स्थगित कर दिया गया।[9]

बैठकों की अस्थायी सारणी में मूलत: 24 फरवरी, 1986 को राज्य सभा की बैठक होने का उल्लेख किया गया था। उस दिन गुरु रविदास का जन्मदिन था। 1981 के पूर्वोदाहरण को देखते हुए सभापति के निदेशानुसार उस दिन के लिए नियत बैठक रद्द कर दी गई और इसके बारे में सदस्यों को एक संसदीय समाचार के द्वारा सूचित किया गया।[10]

(iv) महाशिवरात्रि

11 फरवरी, 1964 को सभा की आम राय के अनुसार महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सभा की बैठक म॰ प॰ 1.30 बजे दिन के बाकी भाग के लिए स्थगित हो गई।[11] सभा ने यह निर्णय लिया कि 6 मार्च, 1970 को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में उसकी बैठक नहीं होगी।[12] किंतु 24 फरवरी, 1984, को, जब महाशिवरात्रि का पर्व था, सरकार के अनुरोध पर बजट को सभा पटल पर रखने के लिए शाम साढ़े छह बजे सभा की बैठक नियत की गई।[13] बाद के वर्षों में महाशिवरात्रि को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई[14] या सभा की कोई बैठक नहीं हुई।

(v) वैसाखी

राज्य सभा के सत्रों के दौरान केवल पांच बार ही वैसाखी का दिन आया। 1953 और 1955 में 13 अप्रैल को पहले ही पूरी छुट्टी थी और इसलिए इन दिनों सभा की कोई बैठक नहीं थी। 1960 और 1972 में 13 अप्रैल को सभा की बैठक हुई। 14 अप्रैल, 1987 को यद्यपि सार्वजनिक छुट्टी नहीं थी तथापि वैसाखी/डा॰ अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में उस दिन के लिए बैठक नियत नहीं की गई।

(vi) रामनवमी

सत्रों के दौरान रामनवमी 1955 में 1 अप्रैल, 1955 को, 1956 में 19 अप्रैल, 1956 को, 1966 में 31 मार्च, 1966 को, 1969 में 27 मार्च, 1969 को, 1972 में 23 मार्च, 1972 को और 1980 में 24 मार्च, 1980 को पड़ी और इन सभी तारीखों को सार्वजनिक छुट्टी थी। 29 मार्च, 1977 को, जो रामनवमी का दिन था, सार्वजनिक छुट्टी नहीं थी। उस दिन के लिए सभा की एक बैठक नियत की गई किंतु 28 मार्च, 1977 को सभा ने निर्णय किया कि 29 मार्च, 1977 की बैठक रद्द कर दी जाए।[15]

सत्र के दौरान जब भी किसी छुट्टी की तारीख बदली जाती है तब ऐसे दिन सभा की बैठक होगी या नहीं होगी इसका निर्णय स्वयं सभा द्वारा किया जाता है या यदि व्यवहार्य हो तो इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जाता है या उस पर सभापति द्वारा निर्णय लिया जाता है।

13 जून, 1962 को मुहर्रम होने के कारण मूलत: इस तारीख को छुट्टी घोषित की गई थी। अत: 17 मई, 1962 को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश के द्वारा राज्य सभा को 14 जून, 1962 को समवेत होने का आह्वान किया गया। बाद में 11 जून, 1962 को सरकार ने छुट्टी की तारीख को बदलकर 14 जून, 1962 कर दिया।

चूंकि इस स्थिति में राज्य सभा के सत्र के आरंभ होने की तारीख को बदलना संभव नहीं था इसलिए सभा की बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुई। सदस्यों के अभ्यावेदन पर और सामान्य इच्छा को देखते हुए सभा मुहर्रम के कारण स्थगित कर दी गई।[16]

11 दिसम्बर, 1969 को ईद के उपलक्ष्य में मूलत: कोई बैठक नियत नहीं की गई थी। ईद की तारीख बदल कर 12 दिसम्बर, 1969 कर दी गई। किंतु सभा की बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 दिसम्बर, 1969 को हुई और 17 मिनट की बैठक के बाद सभा स्थगित कर दी गई।[17]

यदि ऐसे किसी दिन की छुट्टी रखने का निर्णय किया जाता है और उसके कारण किसी बैठक को रद्द करना आवश्यक हो जाता है तो कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार उसके स्थान पर सप्ताह के ऐसे किसी दिन सभा की बैठक नियत की जा सकती है जब सभा की बैठक पहले ही नियत न कर ली गई हो।

ईद-उल-जुहा के उपलक्ष्य में 27 फरवरी, 1969 को छुट्टी पड़ती थी, उसे बदलकर 28 फरवरी, 1969 के लिए कर दिया गया। अत: 28 फरवरी, 1969 के लिए जो बैठक नियत की गई थी वह 27 फरवरी, 1969 के लिए नियत कर दी गई। किंतु बजट के कारण 28 फरवरी, 1969 को म० प० 6.15 बजे सभा की बैठक हुई।

12 दिसम्बर, 1978 को मुहर्रम के कारण जो छुट्टी पड़ती थी वह 11 दिसम्बर, 1978 के लिए कर दी गई। तद्नुसार सभा की बैठक 11 दिसम्बर के स्थान पर 12 दिसम्बर को हुई और 11 दिसम्बर की कार्यावलि में प्रश्नों सहित जिन कार्यों का मूलत: उल्लेख किया गया था वे 12 दिसम्बर को लिए गए।[18]

13 अगस्त, 1980 को ईद की छुट्टी को देखते हुए और इस बात को भी देखते हुए कि मुसलमान सदस्यों को ईद के बाद अपने-अपने घरों से वापस आने का समय मिल सके, 14 अगस्त, 1980 को नियत की गई बैठक रद्द कर दी गई और उसके स्थान पर सभा ने 18 अगस्त, 1980 को अपनी बैठक करने का निर्णय किया।[19]

6 अगस्त, 1987 को ईद-उल-जुहा के कारण जो छुट्टी थी वह 5 अगस्त, 1987 के लिए कर दी गई। 5 अगस्त, 1987 की बैठक रद्द कर दी गई और कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार सभा की बैठक 6 अगस्त, 1987 को हुई।[20]

कुछ अवसरों पर बैठकों का नियत न किया जाना

शनिवारों के अलावा और उपरोक्त सरकारी तथा अन्य छुट्टियों के अलावा, जब बैठकें नियत नहीं की गई थीं, विगत में कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण भी बैठकें नियत नहीं की गईं।

125वें सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय ने सुझाव दिया कि सभापति से यह अनुरोध किया जाए कि वे दिल्ली में होने वाले निर्गुट आंदोलन के सम्मेलन को देखते हुए 7 से 10 मार्च, 1983 तक कोई बैठक नियत न करें। सभापति इस सुझाव पर सहमत हुए और बैठकों की अस्थायी सारणी और सत्र के आरंभ संबंधी संसदीय समाचार में यह बताया गया कि इन तारीखों को ''कोई बैठक नहीं होगी'', किंतु यह नहीं बताया गया कि बैठकें क्यों नहीं होंगी।[21] इसी प्रकार 128वें सत्र के दौरान दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक (चोगम) को देखते हुए 23 से 30 नवम्बर, 1983 तक के लिए कोई बैठक नियत नहीं की गई।[22]

148वें सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय के सुझाव पर 7 से 11 नवम्बर, 1988 तक के लिए कोई बैठकें नियत नहीं की गईं ताकि सदस्यगण अपने-अपने निर्वाचन-क्षेत्रों के लोगों के साथ दीपावली मना सकें। बैठकों की अस्थायी सारणी और सत्र के आरंभ संबंधी संसदीय समाचार में यह बताया गया था कि 'कोई बैठक नहीं होगी', किंतु यह नहीं बताया गया था कि बैठकों के न होने का कारण क्या है। जैसाकि सभा में सभापति द्वारा घोषणा की गई थी, सोमवार, 14 नवम्बर, 1988 की बैठक भी रद्द कर दी गई।[23]

बैठकों का रद्द किया जाना

पहले से निर्धारित बैठक भी रद्द की जा सकती है। किसी बैठक को रद्द करने की आवश्यकता उस समय भी पड़ सकती है जब सभा के समक्ष कोई कार्य करने के लिए न हो या किसी अन्य कारण से भी बैठक को रद्द करना आवश्यक हो सकता है। अनेक बार ऐसा हुआ कि कुछ परिस्थितियों या कारणों से कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर या सभा में दिए गए सुझाव पर या सभापति के सुझाव पर बैठकें रद्द की गई हैं।

28 मार्च, 1953 को उपसभापति ने सभा में घोषणा की कि 30 मार्च, 1953 से 8 अप्रैल, 1953 तक सभा की कोई बैठक नहीं होगी।[24]

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार सभा की बैठक शनिवार, 14 मार्च, 1981 को होनी थी। किंतु बाद में सभा के नेता ने घोषणा की कि ''कतिपय समस्याओं के कारण'' सभा के कार्य का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो जाने के कारण उस दिन सभा की बैठक आवश्यक नहीं रही है।[25]

124वें सत्र के दौरान 26, 27 और 28 अक्तूबर, 1982 को दशहरा और मुहर्रम की छुट्टियां थीं। 1 नवम्बर, 1982 को भी गुरु नानक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में छुट्टी थी। कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार सोमवार, 25 अक्तूबर, 1982 और शुक्रवार, 29 अक्बूबर, 1982 की बैठकों को रद्द कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप शनिवार, 23 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 1982 तक सभा की कोई बैठक नहीं हुई।[26]

जैसाकि पहले कहा जा चुका है 125वें सत्र के दौरान दिल्ली में निर्गुट आंदोलन के सम्मेलन को देखते हुए 7, 8, 9 और 10 मार्च, 1983 को राज्य सभा की कोई बैठक नियत नहीं की गई। कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार शुक्रवार 11 मार्च, 1983 की बैठक रद्द कर दी गई जिसके परिणामस्वरूप 5 से 13 मार्च, 1983 तक सभा की कोई बैठक नहीं हुई।[27]

148वें सत्र के दौरान सत्र की अवधि को 20 नवम्बर, 1988 तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए उपसभापति ने यह भी घोषणा की कि सभा के 7 दिसम्बर, 1988 को स्थगित होने के बाद वह 16 दिसम्बर, 1988 को पुनः समवेत होगी। इसके परिणामस्वरूप सभा को आठ दिनों का सत्रावकाश मिल गया।[28]

149वें सत्र के दौरान 20, 21 और 23 मार्च, 1989 की तीन बैठकें रद्द कर दी गईं जिसके परिणामस्वरूप सभा में लगातार दस दिनों का सत्रावकाश रहा।[29]

199वें सत्र के दौरान 11 अगस्त, 2003 के लिए नियत सभा की बैठक रद्द कर दी गई।[29क]

कुछ विशेष कारण, जिनसे बैठकों को रद्द करना आवश्यक हो गया था, इस प्रकार थे:

27 मई, 1964 को पंडित नेहरू के निधन की घोषणा के बाद सभा 28 मई, 1964 को समवेत होने के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में सभापति ने उस बैठक को रद्द कर दिया।[30]

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव को देखते हुए 12 जुलाई, 1982 के लिए नियत की गई सभा की बैठक रद्द कर दी गई।[31]

165वें सत्र के दौरान 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहा दिए जाने के बाद सभापति ने सभा को 9 दिसम्बर, 1992 को 15 दिसम्बर, 1992 तक के लिए स्थगित कर दिया। तद्नुसार 10, 11, 14 और 15 दिसम्बर, 1992 के लिए नियत बैठकें रद्द कर दी गईं।[32]

सभापति ने 9 अगस्त, 1993 के लिए नियत बैठकों को रद्द करने की घोषणा की थी ताकि सदस्यगण भारत छोड़ो आंदोलन के समारोहों में भाग लें सके और स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें।[33]

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार शुक्रवार, 11 और सोमवार, 14 अगस्त, 1995 के लिए नियत बैठकें रद्द कर दी गईं। 10 अगस्त, 1995 को रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में छुट्टी थी। इस प्रकार 10 से 15 अगस्त, 1995 तक सत्र के बीच में लगातार अवकाश रहा।[34]

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों पर 16 और 17 अप्रैल, 2003 के लिए नियत सभा की बैठकें रद्द कर दी गईं।[34क]

कभी-कभी तदर्थ छुट्टियों की घोषणा की जाती है जिसके कारण भी ऐसे दिनों के लिए नियत बैठकों को रद्द करना आवश्यक हो जाता है। ऐसी बैठक को रद्द करने का निर्णय सभापति द्वारा सामान्यतः कार्य मंत्रणा

समिति की सिफारिश पर और समय की उपलब्धता को देखते हुए किया जाता है।

संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा की कि लोक सभा अध्यक्ष के साथ हुई विपक्ष के नेताओं की एक बैठक में यह अनुरोध किया गया कि 14 नवम्बर, 1974 को उस सभा में पूरी छुट्टी घोषित की जाए। इस पर राज्य सभा ने भी उस दिन छुट्टी रखने का निर्णय किया।[35]

गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 9 मई, 1986 को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किए जाने के कारण कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार उस तारीख को होने वाली सभा की बैठक रद्द कर दी गई।[36]

4 नवम्बर, 1988 को सभा में घोषणा की गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की 99वीं जयंती के उपलक्ष्य में 14 नवम्बर, 1988 को सभा की बैठक नहीं होगी।[37]

पैगम्बर मुहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 31 जनवरी, 1980 और 3 अक्तूबर, 1990 को छुट्टी की घोषणा होने के कारण इन दिनों के लिए नियत बैठकें रद्द कर दी गईं।[38]

बैठकों के रद्द किए जाने के कारण कभी-कभी आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए सत्र की अवधि का विस्तार करना या शनिवार को अतिरिक्त बैठक करना आवश्यक हो सकता है या सत्र के दौरान होने वाली बैठक अधिक समय के लिए जारी रखनी पड़ सकती है या मध्याह्न भोजन के अवकाश को छोड़ना पड़ सकता है। इस संबंध में समुचित निर्णय सामान्यत: कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश या सभा की आम राय के आधार पर किया जाता है।

कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की कि बृहस्पतिवार, 25 और शुक्रवार, 26 अगस्त, 1988 की सभा की बैठकों को रद्द कर दिया जाए और जब भी आवश्यक हो सभा को सत्र की समाप्ति तक मध्याह्न भोजन के लिए निर्धारित समय के दौरान और प्रतिदिन काफी देर तक भी बैठना चाहिए।[39]

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 156वें सत्र को 8 जनवरी, 1991 को समाप्त होना था। सभा में घोषणा की गई कि 31 दिसम्बर, 1990 और 1 जनवरी, 1991 को बैठकें नहीं होंगी और इन दिनों के बजाय सभा की बैठकें 9 जनवरी, 1991 और 10 जनवरी, 1991 को होंगी। इसके बाद सत्र की अवधि 11 जनवरी, 1991 तक बढ़ाई गई।[40]

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार 22 जुलाई, 1991 की बैठक रद्द कर दी गई और इसके बजाय सभा की बैठक शनिवार, 20 जुलाई, 1991 को हुई।[41]

कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की कि सभा की 26 मार्च, 1993 की बैठक रद्द कर दी जाए और सभा को सोमवार, 22 मार्च, 1993 से बुधवार, 31 मार्च, 1993 तक म०प० 8.00 बजे तक और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाद भी बैठना चाहिए और सत्र के बाकी भाग के दौरान मध्याह्न भोजन के अवकाश को छोड़ देना चाहिए।[42]

किसी बैठक के आरंभ होने का समय

राज्य सभा की बैठक ऐसे समय प्रारंभ होती है जिसका कि सभापति निदेश देते हैं।[43] आह्वान (समन्स) के साथ-साथ प्रथम सामान्य संसदीय समाचार के माध्यम से सदस्यों को सूचित किया जाता है कि जब तक कि सभापति अन्यथा निदेश न दें, सत्र के दौरान बैठक के प्रारंभ का और उसके समाप्त होने का सामान्य समय क्या होगा। सभा को दिन-भर के लिए स्थगित करने से पहले सभापीठ अगली बैठक की तारीख और समय की भी घोषणा करती है। इसका उल्लेख उस दिन की कार्यवाही के शब्दश: अभिलेख और संसदीय समाचार भाग-1 में भी किया जाता है। प्रत्येक सत्र के प्रथम संसदीय समाचार में एक पैरा के माध्यम से सदस्यों को सत्र के दौरान राज्य सभा की बैठकों के समय के बारे में सूचित किया जाता है।

विगत में बैठकों के प्रारंभ होने का समय भिन्न-भिन्न होता था और अनेक प्रयोगों के बाद ही बैठकों के प्रारंभ होने का वर्तमान समय अंतत: तय हो पाया है। जैसाकि निम्नलिखित उदाहरणों से ज्ञात होगा:

पहला सत्र (1952): 13 मई, 1952 और 16 मई, 1952 को सभा की बैठक म०पू० 10.45 से म०प० 1.30 तक

और म०प० 3.30 से म० प० 5.00 तक हुई। 19 मई, 1952 को सभा के नेता ने सुझाव दिया कि सभा की बैठक दिन में दो बार के बजाय सिर्फ सवेरे लगातार पौने पांच घंटे तक होनी चाहिए। इस पर सहमति हुई और सभापति ने घोषणा कि, कि अगले दिन से सभा की बैठक म० पू० 8.15 से म०प० 1.00 तक होगी।[44] उस सत्र के दौरान सामान्यत: इसी समय के अनुसार बैठकें हुईं। किंतु 22 मई, 1952 को सभा म० पू० 9.45 पर थोड़े समय के लिए समवेत हुई, 23 मई, 1952 को बजट के लिए म०प० 5.30 बजे समवेत हुई, और चूंकि 29 मई, 1952 को कई मंत्रियों का दूसरी सभा में उपस्थित रहना आवश्यक था इसलिए उस दिन सभा की बैठक म०प० 4.00 से म०प० 8.00 तक हुई।[45] 4 अगस्त से 12 अगस्त, 1952 तक सभा की बैठक म०पू० 8.15 से म०प० 1.00 तक और म०प० 3.00 या म०प० 3.30 से म०प० 6.00 तक हुई।

दूसरा सत्र (1952): दूसरे सत्र के दौरान सभा दिसम्बर में लगभग एक सप्ताह तक म०पू० 10.00 बजे समवेत हुई और इस अवधि को छोड़कर वह म०पू० 10.45 को समवेत हुई।[46] 27 नवम्बर, 1952 को हुई राज्य सभा की बैठक में यह सुझाव दिया गया कि सभा की बैठक एक दिन में दो भागों में होने के बजाय लगातार पौने पांच घंटे तक होनी चहिए।[47] किंतु इस पर कोई सर्वसम्मति नहीं हुई। कुछ दिनों बाद इस सुझाव को दोहराया गया किंतु उस पर सहमति नहीं हुई।[48] सभा ने निर्णय किया कि 16 दिसम्बर, 1952 से उसकी बैठक प्रतिदिन म०पू० 10.00 बजे से म०प० 1.00 तक और म०प० 2.30 बजे से म०प० 6.00 बजे तक होगी।[49]

तीसरा सत्र (1953): तीसरे सत्र के दौरान आरंभ के दिनों में सामान्यत: सभा की बैठक लगातार म०प० 2.00 से म०प० 7.30 तक हुई। तथापि, 11 फरवरी, 1953 को सभा की बैठक म०प० 2.00 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात् म०प० 4.00 बजे हुई; 27 फरवरी, 1953 को बजट के लिए उसकी बैठक म०प० 6.00 बजे हुई; 6 मार्च, 1953 को उसकी बैठक म०प० 2.30 बजे हुई और अगले दिन, जो शनिवार था, उसकी बैठक म०पू० 9.00 से म०प० 1.00 बजे तक हुई। सत्र के दूसरे भाग में 14 अप्रैल, 1953 से सभा की बैठक म०पू० 8.15 से म०प० 1.15 बजे तक हुई।[50]

चौथा सत्र (1953): सभा की बैठक सामान्यत: प्रतिदिन म०पू० 8.15 से म०प० 1.15 तक हुई।

पांचवां सत्र (1953): सभा की बैठक प्रतिदिन म०प० 1.30 से म०प० 6.30 तक हुई।

छठा सत्र (1954): पहले भाग के दौरान सभा की बैठक का सामान्य समय म०प० 2.00 से म०प० 7.00 रहा। तथापि, 15 फरवरी, 1954 (शनिवार) को उसकी बैठक बजट के लिए म०प० 2.45 पर हुई और 16 मार्च, 1954 को हिंदू विवाह विधेयक के लिए उसकी बैठक म०प० 1.00 पर हुई। सत्र के दूसरे भाग के दौरान सभा की बैठकें 19 अप्रैल, 1954 को छोड़कर पुन: म०पू० 8.15 से म०प० 1.15 तक होती रहीं।[51] 19 अप्रैल, 1954 को सभा की बैठक म०प० 2.00 पर हुई।

सातवां सत्र (1954): 23 अगस्त, 1954 से 8 सितम्बर, 1954 तक सभा में पिछले सत्र के समय का अनुसरण हुआ अर्थात् उसकी बैठकें म०पू० 8.15 से म०प० 1.15 बजे तक हुई। सभा ने 10 सितम्बर, 1954 से अपनी बैठकों के लिए नया समय अपनाया जो म०पू० 11.00 से म०प० 1.00 बजे तक और म०प० 2.30 से म०प० 5.00 बजे तक का था।[52]

उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि लगभग तीन वर्षों तक सभा ने अपनी बैठकों को आरंभ करने के भिन्न-भिन्न समय के बारे में परीक्षण किए और उसके बाद सभा की बैठकों को म०पू० 11.00 बजे से आरंभ करने का वर्तमान समय तय हुआ जिसका 10 सितम्बर, 1954 से अनुसरण किया जाने लगा। बाद के सत्रों में बहुत कम बार ही इस समय में परिवर्तन किया गया और जो परिवर्तन किए गए वे विशिष्ट प्रयोजनों या अवसरों के कारण या अपवादात्मक परिस्थितियों में हुए थे।

23 दिसम्बर, 1955 और 24 दिसम्बर, 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए सभा की बैठकें म०पू० 10.00 बजे आरंभ हुईं।

13 मई, 1957 को सभा की बैठक म०पू० 9.30 बजे आरंभ हुई ताकि नव-निर्वाचित सदस्य उस दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले शपथ ले सकें या प्रतिज्ञान कर सकें। इसके बाद सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए म०पू० 9.59 बजे स्थगित हुई और उसके पश्चात् पुन: समवेत हुई।

31 मई, 1957 को सभा की बैठक म०प० 3.00 बजे आरंभ हुई क्योंकि आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1957 उस दिन दोपहर के बाद लोक सभा से प्राप्त होना था। अगले दिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के कारण सभा की बैठक म०पू० 8.57 से म०प० 12.57 तक हुई।

2 दिसम्बर, 1957 को सभा की बैठक म०प० 2.30 पर हुई।

9 दिसम्बर, 1959 को सभा की बैठक म०पू० 10.00 पर हुई ताकि भारत-चीन संबंधों के बारे में 8 दिसम्बर, 1959 को पेश किए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा का प्रधान मंत्री द्वारा उत्तर दिया जा सके। 22 दिसम्बर, 1959 को भी सभा की बैठक म०पू० 10.00 बजे हुई।

26 नवम्बर, 1962 से 8 दिसम्बर, 1962 तक सभा की बैठक मध्याह्न 12.00 बजे हुई। तथापि, कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की, कि 10 दिसम्बर, 1962 से सभा की बैठक म०पू० 11.00 बजे से म०प० 1.00 बजे तक और म०प० 2.00 बजे से म०प० 5.00 बजे तक होनी चाहिए। तद्नुसार सत्र के पहले भाग में 10 से 12 दिसम्बर, 1962 तक और दूसरे भाग में 21 जनवरी, 1963 से 25 जनवरी, 1963 तक सभा की बैठक हुई।

9 सितम्बर, 1965 से 24 सितम्बर, 1965 तक पाकिस्तान से युद्ध होने और प्रकाशबंदी के कारण सभा की बैठक सामान्यत: म०पू० 10.30 बजे से म०प० 4.00 बजे तक हुई। एक सुझाव दिया गया था कि सभा की बैठक म०पू० 10.30 बजे से म०प० 1.30 या म०प० 2.30 बजे तक होनी चाहिए ताकि सरकार युद्ध के कारण किए जाने वाले कार्य पर ध्यान दे सके। किंतु इस सुझाव पर अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई।[53]

पाकिस्तान ने 3 दिसम्बर, 1971 की शाम को भारत पर हमला किया था। सभा ने 4 दिसम्बर, 1971 को निर्णय किया कि 6 दिसम्बर, 1971 से सभा की बैठकों का समय म०पू० 10.00 बजे से म०प० 1.00 बजे होगा और सत्र के बाकी भाग के दौरान प्रश्न-काल और ध्यानाकर्षण नहीं होगा। तथापि, 20 दिसम्बर, 1971 को सभा ने निर्णय किया कि 21 से 24 दिसम्बर, 1971 तक (जो सत्र के अंतिम दिन थे) सभा की बैठक पुराने समय के अनुसार, अर्थात् म०पू० 11.00 बजे से म०प० 1.00 बजे तक और म०प० 2.00 बजे से म०प० 5.00 बजे तक होगी।

कुछ विशेष अवसरों पर बैठक के प्रारंभ होने का समय

जैसाकि पहले कहा गया है, बैठक के आरंभ होने का सामान्य समय म०पू० 11.00 बजे है। तथापि, ऐसे विशेष दिन हैं जब सभा की बैठक भिन्न-भिन्न समय पर प्रारंभ होती है। ये विशेष दिन निम्नलिखित हैं:

(i) *राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन*

जैसाकि पहले कहा गया है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधे घंटे के बाद राज्य सभा की अलग बैठक होती है। इस संबंध में बैठकों की अस्थायी सारणी और संसदीय समाचार भाग-2 के द्वारा सदस्यों को आवश्यक सूचना दी जाती है।

(ii) *बजट के दिन*

सामान्यत: हर वर्ष फरवरी के अंतिम दिन लोक सभा में केन्द्रीय बजट पेश किया जाता है और उसकी एक प्रति राज्य सभा के पटल पर रखी जाती है। वित्त मंत्री म०प० 5.00 बजे लोक सभा में अपना भाषण पढ़ना शुरू करते हैं। यदि फरवरी का अंतिम दिन कार्य-दिवस होता है तो सभा म०प० 5.00 बजे से काफी समय पूर्व स्थगित कर दी जाती है ताकि सदस्यगण दूसरे सदन की राज्य सभा दीर्घा में भाषण को सुन सकें। इसके बाद बजट के सभा पटल पर रखे जाने के लिए सभा पुन: समवेत होती है।

28 फरवरी, 1961 को सभा की बैठक म॰ पू॰ 11.00 बजे से म॰ प॰ 1.00 बजे तक हुई और बजट के लिए 6.15 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित हो गई। किंतु 14 मार्च, 1962 को सभा की बैठक बिना स्थगित हुए बजट के सभा पटल पर रखे जाने तक जारी रही।[54]

तथापि, 1999 में गत परम्परा से हटकर वित्त मंत्री ने लोक सभा में म॰ पू॰ 11.00 बजे 1999-2000 का बजट प्रस्तुत किया और म॰ प॰ 1.10[55] बजे राज्य सभा के पटल पर इसकी एक प्रति रखी। तब से इस नई परम्परा का पालन किया जा रहा है। तथापि, वर्ष 2000 में, लोक सभा में म॰ प॰ 2.00 बजे बजट प्रस्तुत किया गया और 29 फरवरी को म॰ प॰ 4.13 बजे राज्य सभा के पटल पर इसे रखा गया। बजट प्रस्तुत किये जाने वाले दिन, राज्य सभा की बैठक लोक सभा में बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद ही होती है ताकि वित्त मंत्री सभा पटल पर इसकी प्रति रख सकें। सभा इसी प्रयोजन के लिए समवेत होती है और बजट रखे जाने के बाद स्थगित कर दी जाती है। जब बाद में निर्धारित तिथि को बजट-सत्र शुरू होता है, तो सरकार की सुविधा के अनुसार किसी भी दिन रेलवे और आम बजट प्रस्तुत किये जाते हैं। चुनाव के वर्ष में, बजट आम-तौर पर दो बार प्रस्तुत किया जाता है-प्रथम बार कुछ महीनों के लिए लेखा अनुदान प्राप्त करने हेतु और बाद में पूर्ण बजट प्रस्तुत करने के लिए। दूसरे, अर्थात्, चुनाव के उपरांत गठित सरकार की सुविधा के अनुसार किसी भी दिन संपूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाता है।[55क]

बजट के सभा पटल पर रखे जाने के लिए सभा के समवेत होने के समय के बारे में बैठकों की अस्थायी सारणी/संसदीय समाचार भाग-2 और कार्यावलि के द्वारा सदस्यों को पहले ही जानकारी दे दी जाती है। पिछले दिन या बजट के दिन, यदि सभा की बैठक हो रही हो, सभापीठ द्वारा यह घोषणा की जाती है कि सभा कब समवेत होगी या पुन: समवेत होगी, जैसी भी स्थिति हो। किंतु यदि लोक सभा में वित्त मंत्री के भाषण में अधिक समय लगने के कारण पहले से नियत समय पर सभा के समवेत होने में विलंब की सम्भावना होने पर पहले से नियत समय के बजाय दूसरे सदन में भाषण समाप्त होने के बाद सभा शीघ्र समवेत होती है और सामान्यत: सभा के समवेत होने के नए समय की घोषणा नहीं की जाती है।[55ख]

(iii) *शहीद दिवस पर*

देश भर में 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन सभा की बैठक केवल चार बार हुई है। 1976 और 1980 में सभा 30 जनवरी को सामान्य समय अर्थात् म॰ पू॰ 11 बजे समवेत हुई और बैठक की कार्यवाही की शुरुआत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर करने वालों की स्मृति में दो मिनट का मौन धारण करके हुई। किंतु 30 जनवरी, 1985 को सभा की बैठक म॰ पू॰ 11.00 बजे मौन धारण करने के लिए एक मिनट पहले अर्थात् म॰ पू॰ 10 बजकर 59 मिनट पर हुई। 30 जनवरी, 2004 को सभा म॰ प॰ 2.00 बजे समवेत हुई और इसने राष्ट्र गान के साथ अपनी कार्यवाही शुरू की और इसके बाद कुछ क्षण का मौन रखा।

(iv) *संविधान सभा की प्रथम बैठक की 50 वीं वर्षगांठ पर*

9 दिसम्बर, 1996 को सभा म॰ प॰ 3.00 बजे समवेत हुई क्योंकि केन्द्रीय कक्ष में उस दिन प्रात: संविधान सभा की प्रथम बैठक की पचासवीं वर्षगांठ मनाने के लिए समारोह आयोजित किया गया था।

किसी बैठक के प्रारंभ होने की प्रक्रिया

सभा की कोई बैठक उस समय विधिवत् गठित होती है जब उसकी अध्यक्षता सभापति द्वारा की जाती है या संविधान के अधीन या राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के अधीन सभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सक्षम किसी सदस्य द्वारा की जाती है।[56] अत: यह आवश्यक है कि सभापति या उपसभापति या राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के अधीन सभापति

द्वारा नाम निर्देशित उपसभाध्यक्षों की तालिका के किसी सदस्य द्वारा बैठक की अध्यक्षता बैठक के प्रारंभ होने के लिए नियत किए गए समय पर और साथ ही बैठक के जारी रहने के समय तक की जाए। सामान्यत: सभापति या उपसभापति सभा की बैठक के प्रारंभ होने के समय पर सभा की अध्यक्षता करते हैं। किंतु कुछ अवसरों पर दोनों के अनुपस्थित होने पर उपसभाध्यक्षों की तालिका के किसी सदस्य द्वारा बैठक के प्रारंभ होने के समय सभा की अध्यक्षता की जाती है।[57]

किसी बैठक के प्रारंभ होने के समय पर पीठासीन होने वाले उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी के द्वारा भी सभापति का आसन ग्रहण करने के पूर्व सभा का मार्शल सभा में गणपूर्ति (कोरम) सुनिश्चित करता है। यदि गणपूर्ति नहीं है तो तब तक घंटी बजाई जाती है जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती।

मार्शल द्वारा सभा में पीठासीन होने वाले व्यक्ति के पहुंचने की घोषणा उसका हिन्दी में पदनाम लेकर की जाती है। घोषणा इस प्रकार होती है: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी/उपसभापति जी/ उपसभाध्यक्ष जी। सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। पीठासीन होने वाला व्यक्ति सभापति के कक्ष से, जो सभापीठ के ठीक पीछे होता है, प्रवेश करता है, सभा का अभिवादन करता है और अपना आसन ग्रहण करता है। सदस्य उनके अभिवादन का प्रति उत्तर देते हैं और अपना-अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। सभा में गणपूर्ति होने पर और पीठासीन अधिकारी द्वारा आसन ग्रहण कर लिए जाने पर सभा की बैठक प्रारंभ होती है और पीठासीन अधिकारी कार्यावलि में दी गई दिवस की कार्यवाही के अनुसार कार्य आरंभ करता है। सभा मध्याह्न-भोजन के अवकाश के बाद या अपनी बैठक के किसी अन्य समय पर स्थगित होने के बाद जब पुन: समवेत होती है तब भी इसी प्रथा का अनुसरण किया जाता है।

बैठक के लिए गणपूर्ति

संविधान के अनुच्छेद 100 के खंड (3) और (4) में निम्नलिखित उपबंध हैं:

(3) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद् के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग होगी।

(4) यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है।

> संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 का उद्देश्य अन्य बातों के साथ यह था कि उपरोक्त उपबंधों का लोप कर दिया जाए और अनुच्छेद 118(1) का संशोधन किया जाए ताकि प्रत्येक सदन गणपूर्ति को विनियमित कर सके।[58] किंतु ये संशोधित उपबंध आवश्यक अधिसूचना के द्वारा प्रवृत्त नहीं किए गए।[59]

राज्य सभा की कुल सदस्यता 245 है। अत: 25 सदस्यों की उपस्थिति उसकी बैठक की गणपूर्ति के लिए पर्याप्त है। चूंकि राज्य सभा का सभापति सभा का सदस्य नहीं होता इसलिए गणपूर्ति के प्रयोजन के लिए उसकी गणना नहीं की जाती।

बैठक के प्रारंभ होने के बाद पीठासीन व्यक्ति, जब तक उसका ध्यान गणपूर्ति के न होने की ओर नहीं दिलाया जाता, यह मान लेता है कि सभा में गणपूर्ति है। जब गणपूर्ति का प्रश्न उठाया जाता है तब उसका कर्त्तव्य होता है कि वह गणपूर्ति की घंटी बजाने का निदेश दे। यदि घंटी बजाने पर, गणपूर्ति हो जाती है या आवश्यकता पड़ने पर सभापीठ के निदेशानुसार दुबारा घंटी बजाने पर गणपूर्ति हो जाती है तो सभा की कार्यवाही आगे बढ़ती है।[60] यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो सभा गणपूर्ति होने तक थोड़ी देर के लिए या बाकी समय के लिए परिस्थितियों के अनुसार जैसा भी करना आवश्यक हो, स्थगित कर दी जाती है।

गणपूर्ति के प्रश्न के समाधान की सामान्य प्रथा क्या है, यह ऊपर बताया जा चुका है। किंतु राज्य सभा में यह प्रथा बदलती रही है। कभी-कभी गणपूर्ति के प्रश्न को उठाये जाने पर सभा की इस परंपरा का उल्लेख किया गया है कि गणपूर्ति का आग्रह नहीं किया जाना चाहिए। कभी-कभी गणपूर्ति की घंटी बजती रहने पर भी सभा में पहले से बोल रहे सदस्य को अपना भाषण जारी रखने के लिए कहा गया है या उसकी अनुमति दी गई है। कभी-कभी कार्यवाही निलम्बित कर दी गई है और कभी-कभी गणपूर्ति के न होने के कारण सभा स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में सभा में समय-समय पर जो प्रथा अपनाई गई है उसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गये हैं:

(क) ***परंपरा का उल्लेख***

जब गणपूर्ति का प्रश्न उठाया गया तब सभापीठ ने टिप्पणी की ''यदि आप गणपूर्ति का आग्रह करते हैं तो मुझे गणपूर्ति की घंटी बजाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। किंतु परंपरा यह है कि गणपूर्ति के प्रश्न पर जोर नहीं दिया जाएगा।'' इसके बाद सदस्य ने आग्रह नहीं किया किंतु यह कहा कि उसका प्रयोजन (गणपूर्ति बनाए रखने में) सरकारी पक्ष के सदस्यों की जिम्मेदारी की ओर ध्यान आकर्षित करना था।[61]

जब प्रधान मंत्री अपनी नेपाल यात्रा के बारे में एक वक्तव्य देने ही वाले थे तब गणपूर्ति का एक प्रश्न उठाया गया। घंटी नहीं बजाई गई। उपसभापति ने उपस्थित सदस्यों की संख्या गिनी और गणपूर्ति का प्रश्न न उठाने की परंपरा का उल्लेख किया। तथापि सभा म॰ प॰ 5 बजकर 47 मिनट पर स्थगित हो गई।[62]

जब एक सदस्य ने यह कहा कि रेल बजट पर चर्चा के दौरान मुश्किल से 15 सदस्य उपस्थित हैं तब उपसभाध्यक्ष ने टिप्पणी की: ''सभा की यह परंपरा रही है कि गणपूर्ति के बिना भी हम कार्यवाही को चालू रख सकते हैं।''[63]

(ख) ***गणपूर्ति की घंटी का न बजाया जाना***

मध्याह्न भोजन के अवकाश के बाद सभा के पुन: समवेत होने पर एक सदस्य ने कहा कि सभा में गणपूर्ति नहीं है। सिर्फ 21 सदस्य उपस्थित थे। एक अन्य सदस्य ने कहा कि सभापीठ के पास यह सुनिश्चित करने का विशेषाधिकार है कि सभा में गणपूर्ति हो और सभापीठ को इस विशेषाधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इसी समय कुछ सदस्य सभा में आ गए और उपसभापति ने घोषणा की कि गणपूर्ति हो गई है।[64]

जब गणपूर्ति का प्रश्न उठाया गया तब विभाजन की घंटी नहीं बजाई गई और विनियोग विधेयक, 1979 संबंधी चर्चा को पूरा करने के लिए नेताओं की आपसी सहमति के कारण और सभापति के इस अनुरोध के कारण भी कि सदस्यों को सहयोग करना चाहिए, सभा की कार्यवाही जारी रही।[65]

जब गणपूर्ति का प्रश्न उठाया गया तब उपसभापति ने सुझाव दिया कि सभा स्थगित की जा सकती है। एक सदस्य ने इस पर आपत्ति की जबकि एक अन्य सदस्य ने सभा स्थगित किए जाने पर सहमति व्यक्त की। घंटी नहीं बजाई गई और सभा ने अपनी कार्यवाही जारी रखी।[66]

(ग) ***बिना घंटी बजाये सभा का स्थगित किया जाना***

जब (बिना घंटी बजाए) यह पता कर लिया गया कि सभा में गणपूर्ति नहीं है तब म॰ प॰ 4 बजकर 14 मिनट पर दिन के बाकी भाग के लिए सभा को स्थगित कर दिया गया।[67]

एक सदस्य ने यह कहते हुए कि सभा में सिर्फ 14 सदस्य उपस्थित हैं, एक औचित्य प्रश्न उठाया और पूछा कि क्या सभा में गणपूर्ति है। सभा में पहले से बोल रही एक महिला सदस्य के भाषण के समाप्त होने पर उपसभाध्यक्ष ने कहा कि चूंकि गणपूर्ति का प्रश्न उठाया गया है, इसलिए उनके पास सभा को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और संबंधित मंत्री अगली बैठक में उत्तर देंगे। सभा मध्याह्न पश्चात् 5 बजकर 14 मिनट पर स्थगित हो गई।[68]

जब सभा में इस संबंध में कुछ विवाद हो रहा था कि क्या उसे म॰ प॰ 8.00 बजे के बाद भी बैठना चाहिए तब सभा की बैठक के जारी रहने पर आपत्ति कर रहे सदस्य ने यह कहते हुए एक औचित्य प्रश्न उठाया कि गणपूर्ति न होने के कारण सभा की कार्यवाही आगे नहीं बढ़नी चाहिए और यदि कार्यवाही जारी रहती है तो वह गैर-कानूनी होगी। उपसभापति ने इसके बाद म॰ प॰ 8 बजकर 12 मिनट पर सभा को स्थगित कर दिया।[69]

एक बैठक के अंतिम चरण में एक सदस्य ने कहा कि सभा में सिर्फ छह सदस्य उपस्थित हैं। यद्यपि वह सदस्य गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठा रहे थे तथापि उन्होंने निवेदन किया: ''यदि पर्याप्त संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं होते तो सभा को दस मिनट के बाद स्थगित कर दिया जाना चाहिए।'' चूंकि बोलने वाले सदस्य नहीं थे इसलिए सभापीठ ने सभा को दिन-भर के लिए स्थगित कर दिया।[70]

(घ) बाकी दिन के लिए कार्यवाही/बैठक का निलम्बित कर दिया जाना या सभा का स्थगित कर दिया जाना

जब सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) जारी रहना विधेयक, 1977 पर खंडश: विचार आरंभ हुआ तब गणपूर्ति का एक प्रश्न उठाया गया। घंटी बजाई गई। इसके बाद उपसभाध्यक्ष ने घोषणा की कि सभा में गणपूर्ति नहीं हुई है और उन्होंने मध्याह्न पश्चात् 6 बजकर 38 मिनट पर सदन को स्थगित कर दिया।[71]

एक बार जब गणपूर्ति की घंटी बजाई जाने पर भी गणपूर्ति नहीं हुई तब एक सदस्य ने सुझाव दिया कि चूंकि कोई मतदान नहीं होने जा रहा है इसलिए सभा की कार्यवाही गणपूर्ति के बिना ही चल सकती है। उपसभापति ने टिप्पणी की कि चूंकि गणपूर्ति का प्रश्न उठ चुका है इसलिए घंटी बजानी पड़ी। उपसभापति ने यह देखने के लिए कि गणपूर्ति होती है या नहीं, सभा को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। जब सभा पुन: समवेत हुई तब सदस्यों की संख्या गिनी गई और गणपूर्ति न होने के कारण उपसभापति ने मध्याह्न पश्चात् 4 बजकर 14 मिनट पर सभा को स्थगित कर दिया। सभापति का ध्यान इस पर गया और उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

> मैंने इन 7-8 वर्षों के दौरान पहली बार यह देखा है कि गणपूर्ति के न होने के कारण हमारे सदन को कार्यवाही निलंबित करनी पड़ी। राज्य सभा की सदस्यता गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। इसके साथ ही जिम्मेदारी और दायित्व भी आता है। यदि आप अपनी जिम्मेदारी और दायित्व नहीं निभाएंगे तो आप अपने गौरव और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाएंगे।[72]

जब सशस्त्र बल (असम तथा मणिपुर) विशेष शक्तियां (संशोधन) विधेयक, 1972 का तृतीय वाचन आरंभ किया जाने वाला था, तब गणपूर्ति का प्रश्न उठाया गया। सदस्यों की संख्या गिनने के बाद सभापीठ ने सभा को (मध्याह्न पश्चात् 4 बजकर 25 मिनट पर) मध्याह्न पश्चात् 4 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया।[73]

गणपूर्ति का प्रश्न उठाए जाने पर घंटी बजाई गई। गणपूर्ति न होने के कारण सभा मध्याह्न पश्चात् 12 बजकर 8 मिनट पर मध्याह्न पश्चात् ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभापीठ का कहना था: ''गणपूर्ति न होने के कारण कोई कार्य नहीं हो सकता....।''[74]

4 अगस्त, 1994 को एक सदस्य ने गणपूर्ति का प्रश्न उठाया। जब किसी दूसरे सदस्य ने कहा कि गणपूर्ति बिल्कुल ठीक है तब उपसभापति ने टिप्पणी की: ''यह निर्णय करना सभापीठ का काम है कि गणपूर्ति है या नहीं। जब तक गणपूर्ति नहीं होती तब तक हम कार्य नहीं कर सकते...आखिरकार सभा को सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जाना चाहिए, यदि कोई सदस्य उन सदस्यों की अंतरात्मा को झकझोरता है जो यहां नहीं हैं तो हमें उस सदस्य की बात सुननी ही चाहिए।'' जब एक सदस्य ने एक औचित्य प्रश्न उठाते हुए यह पूछा कि प्रतिभूति घोटाले संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन के मुद्दे पर जब अधिसंख्य सदस्यों ने (समूचे विपक्ष ने) सदन का बहिष्कार किया है और वे उपस्थित नहीं हैं तब क्या गणपूर्ति के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है। इस पर उपसभापति का कहना था: ''गणपूर्ति की जिम्मेदारी सरकार की है।'' गणपूर्ति होने पर कार्यवाही आगे बढ़ी।[75]

शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 1995 को सदन को मध्याह्न पश्चात् 2 बजे समवेत होने के लिए मध्याह्न पूर्व 11 बजकर 12 मिनट पर स्थगित किया गया। सदन के समवेत होने पर गणपूर्ति की घंटी बजाए जाने पर जब यह पाया गया कि गणपूर्ति नहीं हुई है तब महासचिव ने घोषणा की: ''माननीय सदस्यगण, माननीय उपसभापति के निदेशों के अधीन मैं एतद्द्वारा घोषणा करती हूं कि गणपूर्ति न होने के कारण अब सदन की बैठक नहीं होगी और सदन सोमवार 11 दिसम्बर, 1995 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे समवेत होगा।''[76]

(ङ) *गणपूर्ति की घंटी बजते रहने पर भी कार्यवाही का जारी रहना*

गणपूर्ति का प्रश्न उठाए जाने पर घंटी बजाई गई किंतु गणपूर्ति के न होने के कारण सभा को दिन-भर के लिए स्थगित करने से पहले जो सदस्य बोल रहे थे उन्हें 4-5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई।[77]

जब एक सदस्य के भाषण के दौरान गणपूर्ति का प्रश्न उठाया गया तब एक अन्य सदस्य ने पूछा कि गणपूर्ति के न होने पर भी वह सदस्य कैसे बोल सकते हैं। सभापीठ का कहना था: ''घंटी बज रही है। माननीय सदस्य भाषण जारी रख सकते हैं।''[78]

इसी प्रकार एक अन्य अवसर पर घंटी बजते रहने पर भी मंत्री को अपना भाषण जारी रखने की अनुमति दी गई।[79]

गणपूर्ति का प्रश्न उठाए जाने पर घंटी बजाने का आदेश दिया गया और जो सदस्य बोल रहे थे उन्हें अपने भाषण को समाप्त करने की अनुमति दे दी गई। जब एक अन्य सदस्य ने कहा कि गणपूर्ति के बिना कार्यवाही नहीं चल सकती तब उपसभापति ने कहा कि गणपूर्ति की घंटी बजा दी गई है। इस बार गणपूर्ति की घंटी कई बार बजानी पड़ी और जब भी गणपूर्ति को चुनौती दी गई, सभापीठ ने घोषणा की कि गणपूर्ति है। गणपूर्ति के न होने पर भी और कई बार घंटी बजाए जाने पर भी कार्यवाही के जारी रहने पर आपत्ति की गई।[80] अगले दिन एक सदस्य ने इन कार्यवाहियों से संबंधित मामले को उठाया। संक्षेप में उसका तर्क यह था कि गणपूर्ति की घंटी बजाए जाने और गणपूर्ति के बारे में सभापीठ की घोषणा होने के समय के बीच जो कुछ भी कहा गया है उसे अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए और कार्यवाही आगे नहीं बढ़नी चाहिए। गणपूर्ति की घंटी का बजना बंद होने के बाद गिनती करने पर यदि गणपूर्ति नहीं थी तो सभा को किसी विशेष समय के लिए या बाकी दिन के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए था। इसके उत्तर में उपसभापति ने कहा कि उन्होंने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि उस समय गणपूर्ति थी और उन्होंने सदस्य को सलाह दी कि वह अपनी आपत्तियों को लिखित रूप में दें या वह उनके कक्ष में उनसे इस मामले पर विचार-विमर्श करें। उन्होंने कहा: ''ये ऐसी बातें नहीं हैं जिन्हें बिना सूचना के या हमें बिना बताए उठाया जाना चाहिए।''[81]

मध्याह्न भोजन का अवकाश

आरंभ के वर्षों में राज्य सभा में मध्याह्न भोजन का अवकाश सामान्यत: डेढ़ घंटे का होता था। कार्य मंत्रणा समिति ने 22 अप्रैल, 1963 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की कि सभा में मध्याह्न भोजन का अवकाश म॰ प॰ 1.00 बजे से म॰ प॰ 2.00 बजे तक होना चाहिए। समिति ने 8 अगस्त, 1985 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की कि सोमवार, 12 अगस्त, 1985 से सभा में म॰ प॰ डेढ़ बजे से म॰ प॰ ढाई बजे तक मध्याह्न भोजन का अवकाश होना चाहिए। समिति ने 14 अगस्त, 1985 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की कि शुक्रवारों को म॰ प॰ 1.00 बजे से म॰ प॰ ढाई बजे तक मध्याह्न भोजन का अवकाश रखने की वर्तमान प्रथा जारी रहनी चाहिए। समिति ने 21 नवम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठक में इस बात को दोहराया।[82]

नियम समिति ने सिफारिश की कि सभा की बैठक का समय म॰पू॰ 11.00 बजे से म॰प॰ 1.30 बजे और म॰प॰ 2.30 से म॰प॰ 5.00 बजे की बजाय म॰पू॰ 11.00 बजे से म॰प॰ 1.00 बजे और म॰प॰ 2.00 से म॰प॰ 5.00 बजे तक नियत किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में समिति की सिफारिश यह थी कि मध्याह्न भोजन का अवकाश म॰प॰ 1.00 बजे से म॰प॰ 2.00 बजे तक होना चाहिए।[83] समिति की इस सिफारिश को 174वें सत्र (जुलाई-अगस्त, 1995) से लागू किया गया।

तथापि, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब सभा ने सामान्यत: कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर या सभा की आम राय से मध्याह्न भोजन के अवकाश को छोड़ दिया ताकि सरकारी या अन्य कार्य के लिए अतिरिक्त समय मिल सके।

एक बार जब सभा में इस पर कोई आम राय नहीं बनी कि सभा को मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होना चाहिये या लगातार बैठना चाहिए तब एक सदस्य ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया: ''सभा की कार्यवाही मध्याह्न भोजन के अवकाश के बिना जारी रहेगी।'' प्रस्ताव स्वीकृत हुआ किंतु इसके बाद अव्यवस्था उत्पन्न हो गई और सभा को पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा।[84]

कई बार सभा में ऐसा शोर-शराबा या विवाद हुआ, जिसे दलों/समूहों के नेताओं की आपसी बातचीत के जरिए शांत करना आवश्यक था या सभा में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं जिनके कारण सभापीठ ने मध्याह्न भोजन के अवकाश के निर्धारित समय के पहले ही सभा को स्थगित कर दिया।[85]

कुछ समय के लिए बैठक का निलंबित किया जाना

मध्याह्न भोजन के अवकाश के अलावा, सभा में घोर अव्यवस्था उत्पन्न होने (नियम 257)[86] या गणपूर्ति न होने या किसी सदस्य या मंत्री अथवा किसी अन्य गणमान्य व्यक्ति के निधन के कारण भी सभा को स्थगित करना पड़ सकता है।

कई बार किसी मंत्री के उपस्थित न रहने के कारण भी सभा को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है।[87]

16 दिसम्बर, 1952 को सभा पटल पर पत्रों के रखे जाने के तुरंत बाद सभापति ने सभा को सूचित किया कि पहली पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन के संबंध में जो संकल्प प्रधान मंत्री के नाम पर है उसे पेश करने के लिए प्रधान मंत्री और आधे घंटे तक सभा में नहीं आ सकेंगे और उन्होंने निवेदन किया है कि सभा को म०पू० 11.30 बजे तक स्थगित कर दिया जाए। चूंकि म०पू० 11.00 बजे सभा के समक्ष कोई कार्य नहीं था इसलिए सभा आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई।[88]

रेल बजट को मध्याह्न पश्चात् 1.00 बजे सभा पटल पर रखा जाना था। मध्याह्न पश्चात् 1.00 बजे मंत्री के उपस्थित न होने के कारण उपसभापति ने यह कहते हुए सभा को स्थगित कर दिया: ''मैं समझती हूं कि इस सदन से बेहतर व्यवहार किया जाना चाहिए था।'' सभा के पुन: समवेत होने पर उपसभापति ने टिप्पणी की: ''...मुझे खेद है कि सभा के साथ शिष्टता का व्यवहार नहीं किया गया है और ऐसी बात हुई है। मुझे अधिक शिष्टता की आशा है।'' इसके बाद रेल मंत्री ने मामले को स्पष्ट किया और अपनी अनुपस्थिति के लिए क्षमा मांगी।[89]

जब सभा धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही थी तब किसी भी मंत्री के उपस्थित न होने के कारण सभा 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। सभा के पुन: समवेत होने पर उपसभापति ने टिप्पणी की: ''सभापीठ सरकारी पक्ष से इस पर ध्यान देने की मांग करती है कि इस सभा के साथ समुचित शिष्टता का व्यवहार किया जाए।''[90] अगले दिन सभापति ने निम्नलिखित उद्गार व्यक्त किए:

> ''पिछले दस वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभा को दस मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा है। जब सभा में गंभीर मामलों पर चर्चा की जा रही थी तब सरकार का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। मुझे आशा है कि ऐसी स्थिति पुन: उत्पन्न नहीं होगी और सरकार सभा के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में सावधान रहेगी।'' [91]

एक बार स्वास्थ्य मंत्री को कीटनाशी विधेयक, 1964 पर विचार करने का प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए बुलाया गया किंतु वे अनुपस्थित थे और संसदीय कार्य तथा संचार विभागों के राज्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री की ओर से विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को उपस्थित करने के लिए उठे। इसकी अनुमति नहीं दी गई और उपसभापति ने यह कहते हुए अगले विधेयक को लेने की घोषणा की: ''...स्वास्थ्य मंत्रालय के दोनों मंत्रियों में से एक भी यहां उपस्थित नहीं है और यह एक अत्यंत आश्चर्यजनक बात है। इसे बहुत आसानी से माफ नहीं किया जा सकता...''। जब अगले विधेयक अर्थात् भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1967 की मद को पुकारा गया तब यह देखा गया कि संबंधित मंत्री तैयार नहीं हैं। उपसभापति ने यह कहते हुए सभा को मध्याह्न भोजन के अवकाश के निर्धारित समय से पहले स्थगित कर दिया: ''मैं प्रधान मंत्री का और उनके

माध्यम से मंत्रि-परिषद् का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि सभा के साथ इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता और आप इस तरह से एक विधेयक से दूसरे विधेयक पर छलांग नहीं लगा सकते और किसी विधेयक को लेते समय किसी दूसरे विधेयक पर जाने के लिए नहीं कह सकते...''। मध्याह्न भोजन के अवकाश के बाद सभा के पुन: समवेत होने पर संबंधित मंत्री ने अपनी अनुपस्थिति के लिए क्षमा मांगी।[92]

सभा म॰ प॰ 5.00 बजे से म॰ प॰ 5 बजकर 17 मिनट तक स्थगित कर दी गई क्योंकि प्रधान मंत्री, जिन्हें धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना उत्तर जारी रखना था, दूसरे सदन में व्यस्त थे।[93]

दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में मौलाना आजाद के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में सूचना तथा प्रसारण मंत्री को बुलाने के लिए सभा 8 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।[94]

शून्य-काल के दौरान सभा 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई क्योंकि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि सभा में गृह मंत्रालय का काम-काज देखने वाला एक भी मंत्री उपस्थित नहीं है।[95]

अन्य कारणों से भी सभा को स्थगित करना आवश्यक हो गया। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

सभा के नेता के द्वारा एक प्रस्ताव उपस्थित किए जाने और उसे सभा द्वारा स्वीकृत किए जाने पर एक सदस्य को एक सप्ताह के लिए सभा की सेवा से निलंबित कर दिया गया। जब सदस्य सदन से बाहर नहीं गए तब सभा 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।[96] किसी अन्य अवसर पर जब उसी सदस्य को निलंबित कर दिया गया और उन्होंने सभा से बाहर जाने से इन्कार किया तब सभा 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।[97]

सभा इसलिए स्थगित की गई ताकि सभापति नव-गठित विपक्षी दल के सदस्यों को स्थानों (सीटों) का आवंटन कर सकें।[98]

सभा जमात-उल-अलविदा के कारण दो घंटे के लिए स्थगित की गई।[99]

निवृत्त हो रहे सदस्यों के सम्मान में जलपान के आयोजन के लिए सभा एक घंटे के लिए स्थगित की गई।[100]

इस बात को देखते हुए कि सभा की बैठक लंबे समय तक चलेगी, सभा रात्रि भोज (म॰ प॰ 9.39 से म॰ प॰ 10.05 बजे तक) के लिए स्थगित की गई।[101]

इफ्तार के उपलक्ष्य में सभा म॰ प॰ 6.13 से म॰ प॰ 7.30 बजे तक स्थगित की गई।[102]

सभा म॰ प॰ 6.31 से म॰ प॰ 7.02 बजे तक स्थगित की गई ताकि गृह मंत्री उस सदस्य के बारे में पता कर सकें जो दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया था।[103]

सभा मध्याह्न पश्चात् 5 बजे पुन: समवेत होने के लिए म॰ प॰ 3.32 पर स्थगित कर दी गई ताकि वित्त मंत्री वर्तमान राजकोषीय स्थिति पर वक्तव्य दे सकें।[104]

महासचिव द्वारा 18 विधेयकों के संबंध में लोक सभा का संदेश पढ़ कर सुनाए जाने के बाद सभा समवेत होने के दस मिनट के भीतर म॰ प॰ ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभा म॰ प॰ 2.51 से म॰ प॰ 3.55 बजे तक पुन: स्थगित कर दी गई क्योंकि लोक सभा से प्राप्त धन विधेयकों को लौटाया जाना था और उनके संबंध में कार्य-ज्ञापन तैयार किया जाना था।[105]

चरार-ए-शरीफ के विध्वंस से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रश्न-काल के निलंबन के प्रस्ताव के स्वीकृत किए जाने के बाद सभा एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गई।[106]

सभा में बम रखे होने की आशंका के कारण उसे मध्याह्न पश्चात् 12 बजकर 32 मिनट पर स्थगित कर दिया गया और मध्याह्न पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट पर वह पुन: समवेत हुई क्योंकि पूरी छानबीन के बाद भी सदन में ऐसी कोई चीज नहीं मिली।[107]

सभा म॰ पू॰ 11.08 पर समवेत हुई, सभा स्थगित हुई और म॰ पू॰ 11.30 पर पुन: समवेत हुई। सभापति ने स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती अरुणा आसफ अली के निधन का उल्लेख किया। तत्पश्चात् सभा में मौन धारण किया गया तथा म॰ प॰ 6.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए सभा स्थगित हुई।[108]

बैठक का समाप्त होना

राज्य सभा की बैठक ऐसे समय समाप्त होती है जिसका कि सभापति निदेश देते हैं।[109] सभा तभी स्थगित होती है और दिन की बैठक तभी समाप्त होती है जब सभापीठ द्वारा सभा में इस आशय की घोषणा की जाती है। किसी सत्र के प्रारंभ के संबंध में जारी किए गए संसदीय समाचार में सत्र के दौरान बैठकों के प्रारंभ होने तथा समाप्त होने के बारे में उल्लेख किया जाता है। पीठासीन अधिकारी इसके अनुसार या आवश्यकता होने पर सभा का अभिप्राय मालूम करके सभा को स्थगित करता है। राज्य सभा की मुद्रित कार्यवाही में किसी बैठक की समाप्ति के पश्चात् सभा के स्थगित होने के ठीक-ठीक समय का उल्लेख करने की प्रथा सातवें सत्र (29 अगस्त, 1954) से शुरू हुई। इससे पहले के मुद्रित वाद-विवाद में सभा के स्थगित होने के समय का उल्लेख नहीं होता था।

सत्र के प्रारंभ के पहले कुछ दिनों के दौरान, यदि ऐसा कार्य न हो जिसके कारण म॰ प॰ 5 बजे के बाद बैठना आवश्यक हो, सभा की बैठक सामान्यत: म॰ प॰ 5 बजे समाप्त हो जाती है। सत्र के प्रारंभ होने के बाद जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है तब वह सभा के कार्य की स्थिति पर विचार करती है और सिफारिश करती है कि सभा को प्रतिदिन म॰ प॰ 6.00 बजे तक और यदि आवश्यक हो तो उसके बाद भी बैठना चाहिए। यह सिफारिश, जब सभापीठ द्वारा उसकी घोषणा की जाती है, उस समय को निर्धारित करती है जब सभा को सामान्यत: दिन-भर के लिए स्थगित हो जाना चाहिए। किंतु म॰ प॰ 6 बजे के बाद सभा के जारी रहने का निर्णय सामान्यत: विभिन्न दलों के नेताओं के आपसी विचार-विमर्श या सभा की आम राय से होता है। यदि आम राय नहीं बनती तो सभापीठ द्वारा सभा को तत्काल स्थगित किया जा सकता है।

> कार्य मंत्रणा समिति ने 26 अगस्त, 1991 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि कार्य को पूरा करने के लिए सभा की बैठक म॰ प॰ 6.00 बजे तक होनी चाहिए। पर चूंकि यह सत्र (160वें) का पहला दिन था इसलिए सभा की आम राय से बैठक म॰ प॰ 5.06 बजे स्थगित हो गई।[110]
>
> जब उपसभाध्यक्ष ने सुझाव दिया कि सिर्फ तीन वक्ताओं के बाकी रहने के कारण बोफोर्स के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा उसी दिन समाप्त की जा सकती है तब एक सदस्य ने कहा कि सामान्य परंपरा यह रही है कि सभा की बैठक का समय बढ़ाने के पहले विपक्षी दलों के नेता, सभा के नेता और संसदीय कार्य मंत्री सामान्यत: एक दूसरे के साथ परामर्श करते हैं और इस प्रकार का परामर्श नहीं हुआ है। उपसभाध्यक्ष ने अंतत: सभा को स्थगित कर दिया क्योंकि ''सभा की बैठक का समय बढ़ाने के बारे में सर्वसम्मति नहीं है।''[111]
>
> जब सभा में प्रसार भारती (प्रसारण निगम) विधेयक, 1990 पर चर्चा हो रही थी तब एक सदस्य ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि शाम के छह बज गए हैं। इसका अर्थ यह था कि सभा स्थगित कर दी जानी चाहिए। बैठक के समय को बढ़ाने के मुद्दे को लेकर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। इसी बीच उपसभापति ने यह कहा कि वे इस मुद्दे पर मतदान कराना चाहती हैं कि सभा की बैठक आगे चलनी चाहिए या नहीं। एक सदस्य ने मत व्यक्त किया कि ऐसा कभी नहीं किया गया है और आम राय का अर्थ मतदान नहीं है। विचार-विमर्श के लिए सभा म॰प॰ 7.15 से म॰प॰ 7.41 तक (दो बार) स्थगित की गई। इस बात पर सहमति हुई कि दिन-भर के लिए स्थगित होने के पहले सभा एक घंटा और बैठेगी। इस प्रकार सभा ने एक घंटे से अधिक समय इस मुद्दे पर बहस करने में लगा दिया कि इसे शाम छह बजे बाद बैठना चाहिए या नहीं।[112]
>
> जब उपसभापति ने घोषणा की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा चुनावों को स्थगित करने के लिए दिए गए आदेश के बारे में विधि मंत्री शाम साढ़े पांच बजे एक वक्तव्य देंगे तब सदस्यों द्वारा आपत्तियां की गईं कि कार्य मंत्रणा समिति ने यह सिफारिश नहीं की है कि सभा की बैठक शाम पांच बजे के बाद होनी चाहिए। सभा का अभिप्राय मालूम करने के बाद सभा शाम पांच बजे स्थगित कर दी गई। दो दिन बाद फिर यही मुद्दा उठा। चूंकि शाम पांच बजे के बाद सभा की बैठक जारी रखने के बारे में सर्वसम्मति नहीं थी इसलिए वह स्थगित कर दी गई।[113]

सभा को निर्धारित समय से पूर्व दिन-भर के लिए स्थगित किया जाना

जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है, सभा का सामान्य समय मध्याह्न पूर्व 11 बजे से मध्याह्न पश्चात् 5 बजे तक है। किंतु यदि कार्यावलि में उल्लिखित कार्य पहले ही पूरा हो जाए या सभा के समक्ष और कोई कार्य करने के लिए न हो तो सभा उस समय दिन-भर के लिए स्थगित की जा सकती है।[114]

इन कारणों से भी सभा समय से पहले स्थगित की जा सकती है: किसी सदस्य, मंत्री या विख्यात व्यक्ति का निधन या कोई दु:खद घटना[115] या गणपूर्ति का न होना।[116] (ऊपर देखिये) या सभा की आम राय।

जब इस मुद्दे पर कि सभा को कितनी देर तक बैठना चाहिए, कोई आम राय नहीं हो पाई तब एक प्रस्ताव पेश किया गया कि ''जब तक सभा अनियत तिथि के लिए स्थगित नहीं हो जाती तब तक उसकी बैठक प्रतिदिन मध्याह्न पश्चात् 7 बजे तक होगी।'' इसका निर्णय मत-विभाजन से किया गया।[117]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने प्रस्ताव पेश किया कि ''सभा को अब स्थगित कर दिया जाए।'' प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और सभा म०प० 4.22 पर स्थगित हो गई।[118]

उपसभापति ने घोषणा की कि सभा की इच्छा और कोई कार्य करने की नहीं है और उन्होंने सभा को स्थगित कर दिया।[119]

यदि सभा में घोर अव्यवस्था उत्पन्न होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी सभा को स्थगित करना आवश्यक समझता है तो वह ऐसा कर सकता है।[120] विगत में जिन मुद्दों पर घोर अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण सभा को दिन के बाकी भाग के लिए स्थगित कर दिया गया था उनमें से कुछ मुद्दे इस प्रकार हैं:

यनम और माही में कतिपय पक्षों को दिए गए आयात लाइसेंसों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन;[121] महाराष्ट्र में सरकार के गठन में विलंब;[122] श्री चरण सिंह द्वारा प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के पुत्र के विरुद्ध लगाए गए आरोप;[123] प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के बीच पत्र-व्यवहार;[124] प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्री के परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप;[125] श्री जय प्रकाश नारायण के निधन के बारे में दिया गया गलत समाचार;[126] दिल्ली में पानी का संकट;[127] रक्षा मंत्री के रूप में श्री वी०पी० सिंह का इस्तीफा;[128] बोफोर्स;[129] फेयर फैक्स;[130] लोक सभा में विपक्ष के सदस्यों का इस्तीफा;[131] कांग्रेस (आई) सदस्यों के विरुद्ध दर्ज किए गए झूठे मामले;[132] मेहम में हुई घटना;[133] श्री राजीव गांधी पर निगरानी;[134] अयोध्या का मामला;[135] डुंकेल प्रारूप/गैट (टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार);[136] प्रतिभूति घोटाले संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन;[137] चीनी के आयात पर ज्ञान प्रकाश समिति का प्रतिवेदन;[138] बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना;[139] नई दूरसंचार नीति (175वें सत्र के दौरान बार-बार स्थगन); हवाला मुद्दा (176वें सत्र के दौरान बार-बार स्थगन); अयोध्या मुद्दे पर प्रधान मंत्री का कथित वक्तव्य (191वें सत्र के दौरान बार-बार स्थगन); तहलका मुद्दा (192वें सत्र के दौरान बार-बार स्थगन); गुजरात दंगों के संदर्भ में नरेन्द्र मोदी सरकार को हटाये जाने की मांग (195वें सत्र के दौरान बार-बार स्थगन); और पेट्रोल पंपों के आवंटन में अनियमितताओं का मुद्दा (196वें सत्र के दौरान बार-बार स्थगन)।

उपरोक्त सामान्य कारणों के अलावा जिनसे सभा को निर्धारित समय से पूर्व स्थगित करना आवश्यक हो सकता है, ऐसे कई अवसर हो सकते हैं या बहुत विशेष या विशिष्ट कारण हो सकते हैं जिन्हें देखते हुए सभा को निर्धारित समय से पूर्व स्थगित करना पड़ सकता है। विगत में ऐसे कुछ कारणों से सभा को समय से पहले स्थगित करना पड़ा है; उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

एक विधेयक विचार की अवस्था में वापस ले लिया गया। संबंधित मंत्री कार्यावलि में दर्ज अगले विधेयक के बारे में तैयार नहीं थे। यद्यपि कार्यावलि में एक विधेयक दर्ज था तब भी सभा मध्याह्न पश्चात् 1 बजकर 5 मिनट पर स्थगित कर दी गई। जब सभापति का ध्यान इस ओर गया तब उन्होंने अगले दिन टिप्पणी की: ''यह खेद की बात है कि सत्र के दूसरे दिन ही हमें मध्याह्न पश्चात् 1 बजकर 5 मिनट पर स्थगित होना पड़ा।''[140]

चूंकि सदस्यगण यह चाहते थे कि कार्यावलि में दर्ज विधेयक को एक मद के पूरा हो जाने के बाद अगले दिन लिया जाए इसलिए सभा को मध्याह्न पश्चात् 4 बजकर 23 मिनट पर स्थगित कर दिया गया।[141]

29 अप्रैल, 1969 को सभा म०प० 4.00 बजे स्थगित कर दी गई ताकि सदस्यगण सभा के एक भूतपूर्व सदस्य श्री पी०एन० सप्रू को, जिनका निधन उस दिन सवेरे हैदराबाद में हो गया था और जिनके शव को हवाई अड्डे पर लाया जाना था, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें।[142]

एक सदस्य के सुझाव पर सभा 21 नवम्बर, 1969 को मध्याह्न पश्चात् 2 बजकर 41 मिनट पर स्थगित कर दी गई ताकि सदस्यगण भूतपूर्व उपसभापति श्रीमती वायलेट आल्वा की अन्त्येष्टि में शामिल हो सकें जिनका पिछले दिन निधन हो गया था।[143]

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि वे अगले दिन लिए जाने वाले वित्तीय कार्य से संबंधित पत्रों का अध्ययन करना चाहते हैं। इस सुझाव को देखते हुए सभा मध्याह्न पश्चात् 1 बजकर 9 मिनट पर स्थगित कर दी गई।[144]

इसी प्रकार, एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सभा को दिन-भर के लिए स्थगित कर दिया जाए जिससे सदस्य विधान सभा के चुनावों के परिणाम देख सकें। इसके कारण सभा सहमति से म०पू० 11.03 पर स्थगित हुई।[144क]

प्रधान मंत्री द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देने के संबंध में वक्तव्य दिए जाने के बाद सभा मध्याह्न पश्चात् 12 बजकर 13 मिनट पर स्थगित कर दी गई।[145]

एक सदस्य के सुझाव पर सभा मध्याह्न पश्चात् 3 बजकर 59 मिनट पर स्थगित कर दी गई।[146]

कुछ शुक्रवार ऐसे भी आए जब सभा की बैठक समय से पूर्व स्थगित कर दी गई क्योंकि कार्यावलि में दर्ज गैर-सरकारी विधेयक जिन सदस्यों के नाम पर थे वे उपस्थित नहीं थे।[147]

सभापति ने घोषणा की कि सभा मध्याह्न पश्चात् 4.00 बजे स्थगित हो जाएगी ताकि सदस्यगण 'बीटिंग द रिट्रीट' समारोह देख सकें। किंतु उस दिन दिल्ली में एक आसीन सदस्य के निधन के कारण सभा मध्याह्न पश्चात् 3 बजकर 19 मिनट पर स्थगित कर दी गई।[148]

एक सदस्य ने, जिसे एक सप्ताह के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया गया था, सदन से बाहर जाने से इन्कार कर दिया। सभा प्रारंभ में एक घंटे के लिए स्थगित की गई और उसके बाद पुन: मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई। जब सभा पुन: समवेत हुई तब उपसभापति ने सूचना दी कि दलों/समूहों के नेताओं के बीच विचार-विमर्श जारी है। अंतत: सभा को मध्याह्न पश्चात् 3 बजकर 1 मिनट पर बाकी दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।[149]

प्रधान मंत्री ने आई आर एस-1 बी के प्रक्षेपण के बारे में एक वक्तव्य दिया। सभा में यह आम राय बनी कि सभा को स्थगित हो जाना चाहिए। तद्नुसार उपग्रह के छोड़े जाने की खुशी में सभा शाम पांच बजे स्थगित कर दी गई।[150]

गृह मंत्री शाम साढ़े पांच बजे अयोध्या में मंदिरों के गिराए जाने के संबंध में एक वक्तव्य देने वाले थे। चूंकि वक्तव्य की प्रतियां सभा में सदस्यों को वितरित किए जाने के लिए तैयार नहीं की जा सकी थीं। इसलिए सभा स्थगित कर दी गई।[151]

कार्य मंत्रणा समिति ने 10 जुलाई, 1992 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की कि सभापीठ सदस्यों की राय मालूम करके सोमवार, 13 जुलाई, 1992 को प्रश्न-काल के बाद सभा को स्थगित कर सकती है ताकि सदस्यगण 1992 के राष्ट्रपति निर्वाचन में मतदान कर सकें किंतु अयोध्या के मामले में गरमा-गरमी हो जाने के कारण सभा अपने समवेत होने के आधे घंटे के भीतर स्थगित हो गई।[152]

मध्यरात्रि के बाद भी बैठक का जारी रहना

जैसाकि पहले कहा गया है, सभा की बैठक ऐसे समय समाप्त होती है जिसका कि सभापति निदेश देते हैं किंतु सभा की बैठक ठीक-ठीक कितने समय तक होगी इसका निर्धारण सभा के कार्य की स्थिति और उसकी आम राय के अनुसार होता है। अत: कुछ अवसरों पर महत्त्वपूर्ण कार्यों पर विचार करने और उन्हें निपटाने के लिए राज्य सभा की बैठकें मध्यरात्रि के बाद भी जारी रही हैं।

22 दिसम्बर, 1980 को जब सभा द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक, 1980 पर विचार किया जा रहा था तब मध्यरात्रि होने पर यह औचित्य प्रश्न उठाया गया कि कार्यावलि केवल उस दिन से संबंधित है और वह मध्यरात्रि होने पर लागू नहीं रहती और इसलिए सभा की बैठक मध्यरात्रि के बाद जारी नहीं रह सकती। सभापीठ ने नियम 13 का हवाला देकर औचित्य प्रश्न को स्वीकार नहीं किया और सभा की कार्यवाही विधेयक के पारित होने तक जारी रही। सभा 23 दिसम्बर, 1980 को पुन: समवेत होने के लिए मध्याह्न पूर्व 00.40 पर स्थगित हुई।[153]

उस दिन सभापति के समक्ष मामले को पुन: उठाया गया। कुछ सदस्यों का तर्क था कि सभा एक ही तारीख को दो बार समवेत हो रही है और 22 दिसम्बर, 1980 की रात्रि 12 बजे के बाद जो कुछ भी कार्य हुआ था वह असंवैधानिक था। सभापति ने यह कहते हुए इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि जब उपसभापति पीठासीन थे तब वह उस बैठक के सभापति थे और वह उनकी (उपसभापति की) कार्यवाही पर फैसला नहीं दे सकते।[154]

आवश्यक सेवाएं बनाए रखना विधेयक, 1981 पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए 17 सितम्बर, 1981 को हुई सभा की बैठक अगले दिन मध्याह्न पूर्व 4 बजकर 43 मिनट तक जारी रही।

मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986 पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए 8 मई, 1986 को हुई सभा की बैठक अगले दिन मध्याह्न पूर्व 1 बजकर 52 मिनट तक जारी रही।

बोफोर्स तोपों की खरीद के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 29 दिसम्बर, 1986 को हुई सभा की बैठक अगले दिन मध्याह्न पूर्व 3 बजकर 22 मिनट तक जारी रही।

फेयर फैक्स एजेंसी की नियुक्ति के संबंध में न्यायमूर्ति ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए 14 दिसम्बर, 1987 को हुई सभा की बैठक अगले दिन मध्याह्न पूर्व 1 बजकर 52 मिनट तक जारी रही।

बोफोर्स के बारे में संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए 11 मई, 1988 को हुई सभा की बैठक अगले दिन मध्याह्न पूर्व 12 बजकर 36 मिनट तक जारी रही।

सांप्रदायिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए 12 अक्तूबर, 1989 को हुई सभा की बैठक अगले दिन मध्याह्न पूर्व 12 बजकर 52 मिनट तक जारी रही।

नगरपालिकाओं और पंचायतों से संबंधित संविधान (चौसठवां संशोधन) विधेयक, 1989 और संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक, 1989 पर चर्चा करने और उन्हें पारित करने के लिए 13 अक्तूबर, 1989 को हुई सभा की बैठक अगले दिन मध्याह्न पूर्व 12 बजकर 31 मिनट तक जारी रही।

स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान न करने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 4 जून, 1991 को हुई सभा की बैठक अगले दिन मध्याह्न पूर्व 1 बजकर 15 मिनट तक जारी रही।

राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की धुन का बजाया जाना

सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति ने 23 नवम्बर, 1992 को हुई अपनी बैठक में किसी सत्र के आरंभ/समाप्ति पर राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्'/राष्ट्रगान 'जन गण मन' की धुन बजाने के एक प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक विचार किया। समिति का विचार था कि इस मामले पर विस्तारपूर्वक जांच करना आवश्यक है और ऐसी जांच कराने के लिए इस पर कोई निर्णय लेना स्थगित कर दिया जाना चाहिए। समिति का यह भी मत था कि दोनों सदनों द्वारा इस संबंध में एक-समान प्रथा का अनुसरण किया जाना चाहिए।[155] दलों/समूहों के नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक में यह निर्णय किया गया कि सदन में राष्ट्रगान की धुन बजाई जानी चाहिए। तद्नुसार मंगलवार, 25 नवम्बर, 1992, जो 165वें सत्र का दूसरा दिन था, से यह प्रथा शुरू हुई।[156]

165वें सत्र से नियमित रूप से इस प्रथा का अनुसरण किया जाता रहा है कि प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रगान 'जन गण मन' की रिकॉर्ड की गई धुन बजाई जाएगी और सत्र की समाप्ति पर राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' की रिकॉर्ड की गई धुन बजाई जाएगी।[157]

सभा का अनियत तिथि के लिए स्थगित किया जाना

बैठकों की अस्थायी सारणी के अनुसार सत्र की अंतिम बैठक में या कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर या अन्यथा सत्र की अवधि बढ़ाए जाने पर बढ़ाए गए सत्र के अंतिम दिन की बैठक में सभापीठ द्वारा सभा को अनियत तिथि के लिए स्थगित किया जाता है। सभा को अनियत तिथि के लिए स्थगित कर दिए जाने पर सत्र की समाप्ति हो जाती है। सामान्यत: सभा को अनियत तिथि के लिए स्थगित करने से पहले सभापीठ द्वारा विदाई में कुछ शब्द कहे जाते हैं और जैसाकि पहले कहा जा चुका है, उसके बाद वन्दे मातरम् की धुन बजाई जाती है।[158]

विशेष बैठकें

जैसाकि पहले कहा गया है,[159] 13 मई, 1952 और 17 अप्रैल, 1962 को नव-निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्यों द्वारा शपथ लिए जाने/प्रतिज्ञान किए जाने के प्रयोजन के लिए सभा की विशेष (पृथक) बैठकें हुई थीं।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश थी कि 'भारत छोड़ो आंदोलन' की पचासवीं वर्षगांठ के महत्त्वपूर्ण अवसर के उपलक्ष्य में और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शनिवार, 8 अगस्त, 1992 को केन्द्रीय कक्ष में बैठक समाप्त होने के पन्द्रह मिनट बाद राज्य सभा द्वारा एक संकल्प पारित कराए जाने के लिए सभा की एक विशेष बैठक आयोजित की जाए।[160] तद्नुसार शनिवार, 8 अगस्त, 1992 को मध्याह्न पश्चात् 12 बजकर 17 मिनट पर सभा की एक विशेष बैठक हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर के उपलक्ष्य में उपसभापति द्वारा सभा के समक्ष एक संकल्प उपस्थित किया गया। सभा द्वारा संकल्प पारित होने के बाद शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने खड़े होकर एक मिनट तक मौन धारण किया। तत्पश्चात् सभा मध्याह्न पश्चात् 12 बजकर 20 मिनट पर स्थगित हो गई।

राज्य सभा का एक सौ इक्यासीवां सत्र 23 जुलाई, 1997 को शुरू हुआ। भारत की स्वतंत्रता का पचासवां वर्ष होने पर, सत्र के दौरान प्रश्न-काल, शून्य-काल और सरकारी कार्य रखे बिना 26 से 29 अगस्त, 1997 तक विशेष बैठकें नियत की गई थीं। चार विषयों—मानव विकास एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी; अर्थव्यवस्था और अवसंरचना; भारत और विश्व; और संसदीय लोकतंत्र पर चर्चा की गई। विशेष बैठकों को दो दिन के लिए बढ़ाया गया और तद्नुसार सभा 1 सितम्बर, 1997 को अनियत तिथि के लिए स्थगित कर दी गई। अंतिम दिन अर्थात् 1 सितम्बर, 1997 को सभा द्वारा सर्वसम्मति से एक संकल्प स्वीकृत किया गया।[161]

राज्य सभा की पहली बैठक

संविधान के लागू हो जाने के बाद 3 अप्रैल, 1952 को राज्य सभा का विधिवत् गठन हुआ और सोमवार, 13 मई, 1952 को मध्याह्न पूर्व 10 बजकर 45 मिनट पर सभा की पहली बैठक हुई जिसमें राज्य सभा के सभापति डा॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन् पीठासीन थे। राज्य सभा के सचिव ने 11 मई, 1952 का राष्ट्रपति का आदेश पढ़कर सुनाया[162] जिसके अधीन डा॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन् और श्री एस॰वी॰ कृष्णमूर्ति राव को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया गया था जिनमें से किसी एक के समक्ष राज्य सभा (तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट्स) के सदस्य शपथ ले सकते थे या प्रतिज्ञान कर सकते थे।

तत्पश्चात् सभापति के सुझाव पर संविधान के अधीन राज्य सभा (तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट्स) की पहली बैठक के अवसर के उपलक्ष्य में सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।[163] इसके बाद सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि हम अपने कार्य-कलापों के द्वारा देश की जनता की त्वरित और सर्वतोमुखी प्रगति में योगदान देंगे। उन्होंने शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने की प्रक्रिया समझाई और इसके बाद सदस्यों ने उस दिन शपथ ली/प्रतिज्ञान किया।[164] तत्पश्चात् सभा स्थगित कर दी गई।

टिप्पणियां तथा संदर्भ

1. नियम 12
2. राज्य सभा वाद-विवाद, 6.3.1987, कालम 192–95
3. संसदीय समाचार (2), 20.4.1963; संसदीय समाचार (2), 9.5.1966 भी **देखिए**
4. -वही- 1.3.1972
5. राज्य सभा वाद-विवाद, 5.8.1952, कालम 2945-46, 2969
6. -वही- 24.8.1953, कालम 94–96
7. संसदीय समाचार (2), 16.8.1956
8. सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति का कार्यवृत्त, 1.9.1972
9. राज्य सभा वाद-विवाद, 18.2.1981, कालम 1-4
10. संसदीय समाचार (2), 10.2.1986
11. राज्य सभा वाद-विवाद, 11.2.1964, कालम 144
12. -वही- 5.3.1970, कालम 129–38
13. संसदीय समाचार (2), 27.2.1984, फाइल सं॰ 1/1/84-एल
14. राज्य सभा वाद-विवाद, 11.2.1953, कालम 30
15. -वही- 28.3.1977, कालम 13-14
16. -वही- 14.6.1962, कालम 1-2
17. -वही- 12.12.1969, कालम 3920-21 और 3982
18. -वही- 8.12.1978, कालम 144
19. -वही- 12.8.1980, कालम 1–8
20. -वही- 4.8.1987, कालम 281; कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 4.8.1987
21. फाइल सं॰ 1/1/83-एल; संसदीय समाचार (2), 28.2.1983
22. फाइल सं॰ 1/4/83-एल
23. फाइल सं॰ 1/4/88-एल; संसदीय समाचार (2), 4.11.1988
24. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.3.1953, कालम 2458
25. -वही- 5.3.1981, कालम 349-50; 10.3.1981, कालम 179-80
26. -वही- 6.10.1982, कालम 263; संसदीय समाचार (2), 6.10.1982, 22.10.1982; कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 6.10.1982

27. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.2.1983, कालम 2273; संसदीय समाचार (2), 28.2.1983; कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 28.2.1983

28. -वही- 7.12.1988, कालम 294-95

29. कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 8.3.1989; संसदीय समाचार (2), 7.3.1989

29 क. संसदीय समाचार (1), 8.8.2003

30. राज्य सभा वाद-विवाद, 27.5.1964, कालम 80; संसदीय समाचार (2), 27.5.1964

31. कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 9.7.1982

32. राज्य सभा वाद-विवाद, 9.12.1992, कालम 216; कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 9.12.1992

33. -वही- 6.8.1993, कालम 335

34. संसदीय समाचार (2), 8.8.1995

34क. -वही- 8.4.2003

35. राज्य सभा वाद-विवाद, 11.11.1974, कालम 131; संसदीय समाचार (2), 11.11.1974

36. कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 8.5.1986; राज्य सभा वाद-विवाद, 8.5.1986, कालम 327

37. राज्य सभा वाद-विवाद, 4.11.1988, कालम 246

38. संसदीय समाचार (2), 24.1.1980; 28.9.1990

39. कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 16.8.1988

40. राज्य सभा वाद-विवाद, 27.12.1990, कालम 276-77; कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 28.12.1990 और संसदीय समाचार (2), 10.1.1991

41. -वही-, 16.7.1991, कालम 304; कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 17.7.1991

42. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 18.3.1993

43. नियम 11

44. काउंसिल ऑफ स्टेट्स डिबेट्स, 19.5.1952, कालम 149-50

45. -वही- 29.5.1952, कालम 691

46. -वही- 15.12.1952, कालम 1821

47. -वही- 27.11.1952, कालम 477-78

48. -वही- 2.12.1952, कालम 668

49. -वही- 15.12.1952, कालम 1821

50. -वही- 10.4.1953, कालम 2696

51. -वही- 15.3.1954, कालम 2673; 19.4.1954, कालम 3336

52. राज्य सभा डिबेट्स, 8.9.1954, कालम 1810

53. -वही- 7.9.1965, कालम 3031-32

54. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.3.1962, कालम 189–340

55. संसदीय समाचार (1), 27.2.1999 और वित्त मंत्री का बजट भाषण सभापटल पर रखा गया।

55क. एन॰डी॰ए॰ सरकार द्वारा 3 फरवरी, 2004 को म॰प॰ 12.15 बजे अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया और यू॰पी॰ए॰ सरकार द्वारा 8.7.2004 को म॰पू॰ 11.00 बजे संपूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया।

55ख. तथापि, राज्य सभा वाद-विवाद, 28.2.1983, कालम 355 और 24.7.1991, कालम 230 **देखिए** जब बजट के लिए सभा की बैठक के नये समय की घोषणा की गई

56. नियम 10

57. राज्य सभा वाद-विवाद, 20.12.1963, 21.12.1963, 28.3.1966, 26.12.1967, 12.12.1969, 31.3.1980, 11.3.1988, 9.1.1991, 14.9.1991, 16.9.1991, 17.9.1991, 18.9.1991, 12.8.1994, 26.8.1995, 13.9.1996, 11.3.1997, 12.3.1997, 15.3.1997, 25.7.1997, 1.9.1997, 27.2.1999 और 16.3.2001

58. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976, धारा 18 और 22

59. -वही- धारा 1(2)

60. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.12.1956, कालम 2544

61. -वही- 7.5.1984, कालम 464

62. -वही- 5.3.1991, कालम 364–72

63. -वही- 26.7.1991, कालम 351

64. काउंसिल ऑफ स्टेट्स डिबेट्स, 13.12.1952, कालम 1713

65. राज्य सभा वाद-विवाद, 26.3.1979, कालम 165-66

66. -वही- 1.6.1990, कालम 239-40

67. -वही- 11.12.1959, कालम 2282–84

68. -वही- 28.11.1968, कालम 1854

69. -वही- 2.3.1981, कालम 340

70. -वही- 20.7.1991, कालम 176–78

71. -वही- 31.3.1967, कालम 1828

72. -वही- 14.12.1959, कालम 2368

73. -वही- 18.3.1972, कालम 126

74. -वही- 6.3.1991, कालम 182-83

75. -वही- 4.8.1994; संसदीय समाचार (1), 6.9.1996 भी **देखिए**

76. -वही- 8.12.1995, कालम 158

77. -वही- 4.6.1971, कालम 245-46

78. -वही- 25.7.1977, कालम 320-21; राज्य सभा डिबेट्स, 7.12.1967, कालम 3004 भी **देखिए**

79. -वही- 31.3.1980, कालम 103-04

80. -वही- 9.3.1978, कालम 187–92

81. -वही- 10.3.1978, कालम 187–92

82. कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 22.4.1963, 8.8.1985, 16.8.1985, 21.11.1985; राज्य सभा वाद-विवाद, 18.9.1981, कालम 235-36 (शुक्रवारों को मध्याह्न भोजन के अवकाश के समय के लिए); और 22.11.1985, कालम 248

83. नियम समिति का सातवां प्रतिवेदन

84. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.12.1969, कालम 4349–67

85. राज्य सभा वाद-विवाद, 21.7.1989, कालम 237-38; 17.5.1990, कालम 170; कालम 6.9.1990, कालम 226; 4.3.1991, कालम 335; 11.3.1991, कालम 371; 22.7.1992, कालम 201; 8.12.1994, कालम 347; 7.8.1995, कालम 280 और 8.8.1995, कालम 244

86. -वही- 14.12.1967, कालम 4062-63; 26.11.1969, कालम 1558; 16.12.1969, कालम 4349–67; 15.12.1983, कालम 217; 3.7.1984, कालम 9 (प्रश्नकाल के दौरान); 17.8.1984, कालम 3, 13 (प्रश्नकाल के दौरान); 3.12.1987, कालम 200; 14.3.1988, कालम 312; 15.3.1988, कालम 169; 5.8.1988, कालम 214; 1.9.1988, कालम 6, 226; 17.11.1988, कालम 183-84; 27.3.1989, कालम 270; 21.7.1989, कालम 237-38; 24.7.1989, कालम 272; 3.8.1989, कालम 241; 18.8.1989, कालम 232; 26.8.1989, कालम 166; 31.5.1990, कालम 158-59; 16.8.1990, कालम 453; 20.8.1990, कालम 317; 4.9.1990, कालम 414; 6.9.1990, कालम 226; 11.1.1991, कालम 16; 26.2.1991, कालम 204; 12.3.1991, कालम 83; 1.8.1991, कालम 264; 6.9.1991, कालम 261; 2.12.1991, कालम 148; 9.12.1991, कालम 194, 195; 26.2.1992, कालम 236 (सभा 4 बार स्थगित हुई); 10.7.1992, कालम 155 (प्रश्नकाल के दौरान सभा दो बार स्थगित हुई); 21.7.1992, कालम 4 (प्रश्नकाल के दौरान सभा स्थगित हुई); 31.7.1992, कालम 10 (प्रश्नकाल के दौरान सभा स्थगित हुई); 4.8.1992, कालम 320 (5.8.1992 को उपसभापति ने पिछले दिन के स्थगन के बारे में एक स्पष्टीकरण दिया); 24.2.1993 (सभा दो बार स्थगित हुई); 25.2.1993 (सभा तीन बार स्थगित हुई); 26.2.1993 (सभा दो बार स्थगित हुई); 10.8.1993 (सभा दो बार स्थगित हुई); 27.8.1993 (सभा दो बार स्थगित हुई); 8.12.1993 (सभा दो बार स्थगित हुई); 30.12.1993, 28.2.1994, 27.4.1994, 13.6.1994, 27.7.1994, 8.12.1994, 14.12.1994 आगे **देखिए** (सभा तीन बार स्थगित हुई); 23.3.1995 (सभा दो बार स्थगित हुई); 28.3.1995; और 31.7.1995

87. -वही-, 22.11.1962, कालम 2181; 24.2.1966, कालम 1252; 21.3.1967, कालम 355; 4.4.1967, कालम 2126; 24.7.1967, कालम 133-34; 22.12.1969, कालम 5262–65; 18.8.1970, कालम 195; 25.4.1988, कालम 243; 29.8.1988, कालम 252; 5.12.1991, कालम 270–72; और 26.8.1996

88. काउंसिल ऑफ स्टेट्स डिबेट्स, 16.12.1952, कालम 1959-60

89. राज्य सभा वाद-विवाद, 18.2.1959, कालम 1226-27

90. -वही- 1.5.1962, कालम 1295–97

91. -वही- 2.5.1962, कालम 1499–1500

92. -वही- 24.7.1967, कालम 129–36

93. -वही- 29.12.1989, कालम 288

94. -वही- 6.9.1991, कालम 261

95. -वही- 10.8.1993, कालम 487-88

96. -वही- 25.7.1966, कालम 138

97. -वही- 14.12.1967, कालम 4063

98. -वही- 17.11.1969, कालम 124

99. -वही- 19.11.1971, कालम 1, 128

100. -वही- 27.3.1980, कालम 195, 350

101. -वही- 18.8.1989, कालम 233

102. -वही- 30.3.1990, कालम 320–23, 337

103. -वही- 23.5.1990, कालम 347

104. -वही- 27.12.1990, कालम 253

105. राज्य सभा वाद-विवाद, 11.3.1991, कालम 387-88

106. -वही- 15.5.1995, कालम 11

107. संसदीय समाचार (1), 5.12.1995 और राज्य सभा वाद-विवाद, 5.12.1995, कालम 213

108. -वही- 30.7.1996

109. नियम 13

110. राज्य सभा वाद-विवाद, 26.8.1991, कालम 202-06

111. -वही- 11.8.1987, कालम 301-03

112. -वही- 4.9.1990, कालम 379-414

113. -वही- 3.8.1993, कालम 464-73 और 5.8.1993, कालम 359-74

114. -वही- 10.5.1958 (म० प० 3.50 पर); 29.8.1958 (म० पू० 11.18 पर) (गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य); 7.9.1959 (म० प० 3.25 पर); 9.12.1959 (म० प० 3.02 पर); 16.12.1959 (म० प० 4.31 पर); 1.12.1960 (म० प० 3.47 पर); 2.12.1960 (म० प० 3.48 पर); 15.2.1961 (म० प० 1.15 पर); 18.3.1961 (म० प० 12.54 पर); 29.11.1961 (म० प० 4.22 पर); 6.8.1962 (म० प० 4.03 पर); 21.11.1963 (म० प० 5.20 पर); 31.3.1971 (म० प० 3.28 पर); 1.8.1972 (म० प० 3.40 पर); 21.8.1972 (म० प० 3.50 पर); 7.12.1972 (म० प० 3.40 पर); 23.12.1972 (म० प० 3.22 पर); 7.3.1973 (म० प० 4.28 पर); 16.8.1973 (म० प० 3.57 पर); 29.11.1973 (म०प० 3.49 पर); 24.12.1973 (म०प० 2.05 पर); 4.12.1974 (म०प० 3.56 पर); 24.4.1975 (म०प० 4.04 पर); 25.7.1975 (म०प० 3.23 पर) (गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य); 6.8.1975 (म०प० 3.32 पर); 8.8.1975 (म०प० 12.58 पर); 9.8.1975 (म०प० 12.15 पर); 16.1.1976 (म०प० 3.53 पर); 5.12.1976 (म०प० 4.00 पर); 10.3.1976 (म०प० 4.02 पर); 11.03.1976 (म०प० 4.03 पर); 12.5.1976 (म०प० 3.58 पर); 20.8.1976 (म०प० 1.00 बजे) (गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य); 1.12.1977 (म०प० 4.16 पर); 13.12.1977 (म०प० 3.22 पर); 21.3.1978(म०प०4.00पर); 24.4.1981 (म०प० 2.45 पर); 3.8.1987 (म०प० 3.17 पर); 12.3.1991 (म०प० 4.23 पर); और 13.3.1991 (म०प० 12.20 पर);

115. अध्याय-16 **देखिए**, आगे

116. राज्य सभा वाद-विवाद, 11.12.1959, कालम 2282-84; 22.8.1963, कालम 1269-70; 4.6.1971, कालम 245-46; 25.7.1977, कालम 320-22; 5.3.1991, कालम 364-72; और 20.7.1991, कालम 176-78

117. -वही- 23.12.1968, कालम 5391

118. -वही- 18.7.1977, कालम 144; 28.7.1977, कालम 246

119. -वही- 19.3.1978, कालम 210; 26.12.1978, कालम 116

120. नियम 257

121. राज्य सभा वाद-विवाद, 4.12.1974, कालम 205-40

122. -वही- 6.3.1978, कालम 122

123. -वही- 17.7.1978, कालम 194

124. -वही- 20.7.1978, कालम 258

125. -वही- 13.12.1978, कालम 238; 14.12.1978, कालम 218; 18.12.1978, कालम 242; 19.12.1978, कालम 210; 20.12.1978, कालम 144; और 22.12.1978, कालम 138

126. -वही- 22.3.1979, कालम 212

127. -वही- 13.7.1979, कालम 23, 128

128. -वही- 13.4.1987, कालम 10, 136

129. -वही- 28.7.1987, कालम 428; 29.7.1987, कालम 4; 30.7.1987, कालम 1-3 और 190; 19.7.1989, कालम 282 और 290; और 20.7.1989, कालम 230, 279-80 और 286

130. राज्य सभा वाद-विवाद, 15.4.1987, कालम 153–276

131. –वही– 24.7.1989, कालम 352

132. –वही– 17.5.1990, कालम 177, 179, 180; **और** 18.5.1990, कालम 242

133. –वही– 21.5.1990, कालम 198

134. –वही– 4.3.1991, कालम 331, 335 और 336

135. –वही– 10.7.1992, कालम 277–82; 22.7.1992, कालम 210; 23.7.1992, कालम 240; 7.12.1992, 8.12.1992, कालम 266; 9.12.1992, कालम 216; और 16.12.1992, कालम 1084

136. –वही– 15.12.1993, 16.12.1993; 18.4.1994

137. –वही– 28.7.1994; 29.7.1994; 1.8.1994; **और** 7.12.1994;

138. –वही– 14.12.1994; 15.12.1994; 16.12.1994; 20.12.1994; 21.12.1994; 22.12.1994 **और** 23.12.1994

139. –वही– 28.3.1995, कालम 308–312

140. –वही– 11.8.1959, कालम 264; **और** 12.8.1959, कालम 360–62

141. –वही– 18.2.1960, कालम 1195–1200

142. –वही– 29.4.1969, कालम 462

143. –वही– 21.11.1969, कालम 909–22

144. –वही– 26.3.1971, कालम 54

144क. –वही– 4.12.2003

145. –वही– 6.12.1971, कालम 56

146. –वही– 29.1.1976, कालम 196

147. –वही– 2.4.1976, कालम 118; 13.3.1981, कालम 239-40 और 31.7.1987, कालम 360

148. –वही–, 29.1.1980, कालम 1 और 170

149. –वही– 29.7.1987, कालम 2–4

150. –वही– 29.8.1991, कालम 225-26

151. –वही– 24.3.1992, कालम 298–310

152. कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 10.7.1992, राज्य सभा वाद-विवाद, 13.7.1992

153. राज्य सभा वाद-विवाद, 22.12.1980, कालम 449, 462 और 466

154. –वही– 23.12.1980, कालम 1–6, 34-35

155. सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के कार्यवृत्त, 23.11.1992, फाइल सं॰ 5(1)/90-एल ओ

156. फाइल सं॰ 54/92-टी

157. राज्य सभा वाद-विवाद, 23.12.1992, कालम 352

158. अध्याय-6 भी **देखिए**, पीछे

159. अध्याय-12 **देखिए**, आगे

160. कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 6.8.1992

161. राज्य सभा वाद-विवाद, 1.9.1997, कालम 164–67

162. अध्याय-12 **देखिए**, आगे

163. राज्य सभा वाद-विवाद, 13.12.1952, कालम 1-2

164. –वही–